

[डा० रुद्र प्रतप सिंह]

की एक स्लाई पढ़ कर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

स्वयं के वास्ते रोना कोई  
रोना नहीं होता,

बहाने के लिये पीना कोई  
पीना नहीं होता,

जमाना कह रहा है जियो  
खुद और जानें दो,

स्वयं के वास्ते जीना कोई  
जीना नहीं होता।

तो माननीय सदस्य स्वयं के लिये, अपने निहित स्वार्थ के लिये अंग्रेजी को लाने का कुचक्र रच रहे हैं। मैं उन से आग्रह करूंगा कि उसका वे परित्याग करें। और श्री मारन जी जो हिन्दी-मारन का कार्य कर रहे हैं उन से कहूंगा कि हिन्दी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भाषा है और उन का जो प्रयास है वह राष्ट्र की एकता के लिये घातक है, अतएव वे क्षमा करके अपने विधेयक को वापस लें। इन शब्दों के साथ मैं इस राष्ट्र-द्रोही विधेयक का प्रबल विरोध करता हूँ।

#### THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 1982.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LADLI MOHAN NIGAM): Now we shall take up introduction of Bills.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the University Grants Commission Act, 1956.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

#### THE MARRIAGE WITH FOREIGN NATIONALS (REGULATION AND REGISTRATION) BILL, 1982.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate and register the marriages of Indian citizens with foreign nationals.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

#### THE PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 1982.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Prevention of Corruption Act, 1947, with a view to applying the provisions of the Act to politicians and making the penalties thereunder regarous.

*The question was put and the motion was adopted.*

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

#### THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1977

(to amend article 120, 210, insertion of new article 342-A and amendment of articles 343, 344, 346, 348 and 368)—  
Contd.

SHRI SYED SHAHABUDDIN (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I venture to place some views on the Bill under discussion with a degree of trepidation. I have listened through parts of the debate and somehow I have the feeling that this is an artificial debate. It is artificial in the sense, if I understand the intention of the mover correctly, that the essential idea is, to translate as an enactment of Parliament into the form of a constitutional amendment. The assurances which had been given to the nation could be given thus a more solid foundation, as an integral part of the Constitution. But when I looked through the Bill, I had the feeling that there are areas of departure from the assurances that had been

given by our national leadership many years back and which were subsequently enacted under the Official Languages Act of 1963, as amended later in 1968. Now, nothing is static in the world and we are in a dynamic situation, but I hope my hon. friend, the Mover of the Resolution, will not misunderstand me if I say that the idea then in 1963 was that as time passes we shall be closer to a national consensus in favour of Hindi and ultimately, progressively Hindi shall replace English as, what has been called, the link language and as the official language of the Union. Why it has not happened so far, I don't think it is time for us to dissect or to analyse. Whether there has been over-enthusiasm on the part of the Hindiwallahs—protagonists of Hindi—or there has been undue cussedness on the part of those who oppose Hindi, I would not like to pass a judgment. I would leave it for future historians to judge.

There are some essential facts which must be kept in mind when we discuss this rather sensitive subject. The first is that if we are indeed committed to the integrity of our nation, to the unity of our people, a people who subscribe to many faiths and speaks many languages, our country has many diversities within an overall pattern of unity. We must recognise that the biggest single linguistic group speaks Hindi. We should also recognise that whether it can be recognised as proper Hindi or not, the language called Hindi, we may call it, Hindustani, is understood throughout the length and breadth of the country, if not wholly, partially, if not by all, at least by some people, and communication is possible to be established by a visitor from one part of the country to another if he knows Hindi; but it is not possible if he were to know Bengali or Tamil or any other of our national languages. That is not to detract from the importance or the richness of any of our other national languages, but this is a distinctive quality that only the language which is called Hindi today, which was called by Gandhiji as Hindustani, which some people also call by the name Urdu, enjoys, as compared to the other national languages of the country.

Sir, secondly when I use the term "national language", I would like to make one observation. I think some of us are rather imprecise when we use the term "national language." We tend to regard Hindi alone as the national language. This is not so. The Constitution regards all the languages which are recognised as languages as distinct from dialects and which have a literature of their own as national languages. And, as I said somewhere in another context, languages are always developing. There are many dialects today, which tomorrow might emerge as languages, and our Constitution, through an amendment, can provide for the inclusion of such future languages that might emerge as full fledged member of the family of national languages. I would not like to close the doors to the new to limit them to the number that were delineated in the Constitution in the year 1950. The fact is that all languages are national languages and all languages have the right to protection, to support and to promotion at State expense to recognition as a contributory factor to make India what it is. Unfortunately, Sir, this is not so in practice. And I refer to one particular fact in this aspect. The Ministry of Education has a budget for development of languages. The general impression is that perhaps an overwhelming part of the budget allocation is used for Hindi. If so, This is unfair. I think this impression would not be there if the Ministry of Education were to allocate specific amounts for the development of various languages. I would not mind a bigger share for Hindi, but I would not like this impression to gain ground among the other linguistic groups that the budget allocation of the Central Government for the development of languages is essentially, largely, used for the promotion of Hindi. It is this impression which creates situations in which we have not been able to progress beyond the year 1963. Such situations retard the development of the national consensus that we are seeing. And these are the circumstances in which an hon. Member of the House, who, I am sure, is as patriotic as anyone of us, who has the integrity and unity of the country at heart, today finds it necessary to come to the House

[Shri Syed Shahabuddin]

with a Bill of this nature. Somehow the responsibility lies with those who want Hindi to be ultimately the first among the languages of India, to establish their *bona fides*. It is for them to treat the other languages as generously as they can. It is for them to prove that the development of Hindi does not detract from the development, or retards the development, of other languages in any way, or Subtract from the importance of other languages.

Sir, in the Official Languages Act, 1963, we had provided that English shall continue as the official language of the country. And then a procedure was devised that unless all the non-Hindi States want to change it shall so continue. Our friend in this Bill has tried to work out or delineate a procedure for the change in the *status quo*. In each of the paragraphs I find the same procedure, that the Resolution by the Assemblies of the non-Hindi speaking States should be passed by a majority of not less than three-fourths of the total membership. Now, this, to my mind, is a bit more rigorous than is necessary. I think—if I am not wrong—in the Constitution the most important articles can be amended, and adequately a less rigorous procedure safeguard has been provided against any hasty action by prescribing pressure of two-thirds of the members and two-thirds of the present voting in favour. I would have liked very much the hon. Member to have used the same formula. Surely the question of official language of the to be used in the Legislature and as the link language, cannot be a matter of greater importance than the most important articles of the Constitution. That is where I have my reservations. I would have very much liked if he had projected constitutional amendment by the same level of consensus as obtaining for other articles of the Constitution. But he has gone further than that. He has gone so far that it virtually means a veto. It virtually means that the *status quo* shall continue for ever, in perpetuity. That surely was not the intention of the nation in 1963 or in 1968. Therefore, I am bound to draw the

conclusion that in the form that it stands, many of us have reasons to nurse reservations on the Bill and may not be able to subscribe to it.

Now, Sir, coming to the aspect of the link language, we have really to work out a three-way system. We have the Centre and we have the States, and among the States, there are States which are Hindi States and there are also others which are non-Hindi States. When I talk of a three-way communication, what I have in mind is, the possibility of communication between the Centre and the non-Hindi States as well as between two non-Hindi States, for example, if West Bengal were to communicate with Tamil Nadu, in what language they will communicate with each other? If the Centre were to communicate with Tamil Nadu or if the Centre were to communicate with West Bengal, what language will it use? In a purely academic manner, my thinking would be that all our languages should be developed to a point and thereof knowledge should be so widely available—this would be an ideal situation—that West Bengal and Tamil Nadu can communicate with each other simultaneously in Bengali and Tamil. If a communication goes from Tamil Nadu to West Bengal, it will be accompanied by Bengali translation and similarly, if there is a communication between the Centre and West Bengal and if the originator is West Bengal, it will attach a translation in Hindi and if the originator is the Centre, it will attach a translation in Bengali, and like that. But that may create certain practical difficulties and that is why the role of a Common link language becomes important.

Actually, I am not one of those persons who equate nationalism with unilingualism. Unilingualism is not a fundamental basis or an essential consideration for the promotion of nationalism. In fact, these two are totally different things. We conceive of India, in fact, as I said in the beginning, in the philosophical context of unity in diversity, as a multi-lingual and multi-cultural nation.

Now, Sir, the other point which I would like to make here is, we must also be clear as what shall be the place of

English in our scheme of things. I, Sir, have served in the Foreign Service for twenty years and have had the opportunity of representing my country in various conferences and in various countries and I found it of great benefit to the country, a matter of great advantage that our diplomats were in a position not only to articulate the aspirations of our country, our own national aspirations, but they were also sought after they were looked up to for articulating the aspirations of the Third World as a whole. This was because of one simple reason—not that we were more intelligent than others or that we were wiser than others—that it was felt that Indians could draft better because of their command over English. Why should we throw away such an asset? It is an asset which is of use to us in a growingly interdependent world in a shrinking world, in a world which, ultimately shall be a global village. When we have this asset, should we simply throw it away because the British have lorded it over us for 200 years? It should not be so. I do not think it should be actuated by feelings of bitterness or hatred or anything of the sort. English, to me, is a tool and a means of communication and if we, today, have the skill to use to command over this tool, I do not see any reason why we should throw away this tool or abuse it? Therefore, while I cannot accept that English shall in perpetuity be the official language of the Union—it has to be replaced at one time or the other by Hindi—we must see to it that we do not deprive ourselves of the advantage we possess, that we maintain our grip over this language which is today the international language *par excellence*. I know, in Europe, on both sides of what was once called the Iron Curtain—it is no longer there—in both parts of Europe if I may say so, East Europe and West Europe every school child apart from his own national language learns English also. Even in France the Frenchmen are considered to be extremely proud of their language and culture. They always consider French to be much more precise as a language and as a medium of accurate expression of thought than English. Today even they are accepting English slowly. Therefore,

this is an advantage that we should not lose. Therefore, while in our scheme of languages we should accept that Hindi is the first among equals, that Hindi must eventually become the language of mutual communication throughout the country, we must see to it that no national language gets the feeling that its interests are being sacrificed at the altar of Hindi and that we do not give up the advantage that we have, of English.

For this it is essential and I would plead with my hon friends from Tamil Nadu, that we must see to it that our younger generation which much learn its mother tongue, must also learn Hindi. I have been a protagonist a champion of the mother tongue. I have always said that the mother tongue must be the first language that every child must be taught in the school. I know how unjust we have been to some of our children belonging to some linguistic groups. But they must also learn Hindi because we should regard India as one. Despite all this claim of "mulki" and "ghair-mulki" and the "son of the soil" theory, we still feel that our future lies somewhere in India as a whole. I cannot forget a conversation that I had once with a professor of the Princeton University. He said "The whole world today is groping for a common market. You have a built-in advantage of a common market. You want to give it up?" And a common market presumes a common language because otherwise you cannot talk to each other. Without a common language you cannot bargain with each other in a common market. Therefore, I would plead with him that with a proper application, a just application of the three-language formula it should be possible for all our children, by the end of high school education, to acquire a working knowledge of Hindi, which will enable them to seek their fortune or advance their career in any part of our great country and not necessarily confine themselves and their destiny to one single corner thereof.

My last point is that if my hon friend from Tamil Nadu feels that the Central Government has gone very far in using Hindi, he is totally mistaken. I have my personal experience. When I became a

[Shri Syed Shahabuddin]

Deputy Secretary, one of the sections in my charge was the Hindi Section of my Ministry, and all the files from that section came to me in English. I then spoke to my staff. I said: "You are sending out a circular every quarter to find out as to how much work is being done in Hindi and you yourself are performing all your work in English. Now, at least here I am the boss. From now on, at least this section shall work in Hindi." So, my feeling is that, on the one hand, the Government tries to give the impression to the electorate in the Hindi-speaking areas that they are doing so much for Hindi and, on the other, there is only a ritual form of obeisance paid to it; nothing more is done. I would, therefore, appeal that the Government should see to it that Hindi is progressively used in actual work so that it acquires the competence to be used as a link language, as the official language of the Union and also that the people who are making decisions are in a position to understand Hindi, to follow Hindi. I find that many of them are not. This is something that the Government ought to look into. That is not exactly the subject of our discussion, but I just wanted to remove this apprehension from the mind of my hon. friend, the mover of this Bill, that we are rushing headlong in the introduction of Hindi. We are not, to the sorrow of many of us, and this retards the development and therefore the final acceptance of Hindi as the language of the Union and as the link language.

Sir, with these words, I would request my hon. friend not to press his Bill. While I have great sympathy with the point of view that he stands for, I would like to submit this request for his consideration. Thank you.

3.00 P.M.

श्री नदाशिव बागाईतकर (महाराष्ट्र) :

श्रीमन्,

I have a temptation to speak in English so that I can appeal to my friend here, but, my dear friend, you will excuse me if I speak in Hindi. Kindly take the trouble of understanding my Hindi speech in English. . .

उद्योग मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : हिन्दी में बोलिये ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : आप कबका उपदेश दे रहे हैं । जो आप लोग नहीं कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ ।

श्री कल्पनाथ राय : हिन्दी में बोलिये ।

श्री सदाशिव बागाईतकर : हिन्दी में ही बोल रहा हूँ । खाली उनसे अपील कर रहा हूँ ।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Our Minister is the first fanatic.

श्री सदाशिव बागाईतकर : श्रीमन्, जो संशोधन मेरे लायक मित्र श्री मार्गन साहब लाये हैं, उसका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ और इसके लिये मैं उनसे माफी मांगूंगा । आखिरकार, सवाल हिन्दी और अंग्रेजी ऐसा नहीं है । यह गलत धारणा हमारे मन में बनी हुई है कि सवाल है हिन्दी या अंग्रेजी । सवाल यह नहीं है । सवाल है देशी भाषा चाहे वह तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलगू हो, मराठी हो, गुजराती हो और संघ राज की भाषा उनका कानूनी दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से आपस का संबंध कैसे हो, यही असल में समस्या है । इसका एक पहलू यह है कि भाषा एक सामाजिक हथियार, औजार भी होती है । भाषा का इस्तेमाल सिर्फ बात हम एक दूसरे की समझें इतना नहीं होता है, भाषा से सामाजिक अन्याय और शोषण भी होता है । अभी अभी शहाबुद्दीन साहब फरमा रहे थे कि अंग्रेजी भाषा जो हम लोग सीखें हैं, इसका त्याग करना, इसका परित्याग करना हमारे लिये अच्छा नहीं है और दुनिया में हम लोगों की, हिन्दुस्तान के

जो आई. ए. एस. कैंडर के लोग हैं, आफिसर लोग हैं उनकी बड़ी प्रेस्टिज बन गई है और बड़ा अच्छा डापिंटिंग हम लोग करते हैं। यह जो वह कहते हैं इसके पीछे एक बात छिपाई जा रही है, जो आप समझ लें। वे इस बात को छिपाना चाहते हैं कि आखिर अंग्रेजी इस देश में भाषा किन लोगों की है। अंग्रेजी भाषा है उस समाज के एलीटिस्ट तबके की जो धनी वर्ग का है, ऊंची जाति का है और खासकर के शहरों में रहता है। ये सब लोग जो हैं वे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं। आप इतिहास में जाइये कि अंग्रेजी आई कैसे। हिन्दुस्तान में खास करके बम्बई प्रेसीडेन्सी, मद्रास प्रेसीडेन्सी और बंगाल प्रेसीडेन्सी जहाँ अंग्रेज पहले आये वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। आप हमारे देश की शिक्षा का पुराना इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम लोगों की पुरानी पाठशालायें थी उनको तोड़कर अंग्रेजी शिक्षा की जो मांग पहले उठी थी समाज में तो वह मांग उन लोगों ने की जिनके खिलाफ डी. एम. के. आंदोलन रहा, ब्राह्मण वर्ग के लोग, ऊंची जाति के लोग जिन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा को पहले पाया और जो आज सरकारी नौकरियों में हर जगह बड़ी संख्या में बरकरार हैं। तो लैंग्वेज का एक सोशल फंक्शन भी है इसको आप समझ लीजिये। भाषा के इस्तेमाल से एक इन्स्ट्रूमेंट मिल जाता है लोगों के हाथ में और इस इन्स्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके अंग्रेजी को, समाज के अन्दर जो जाति को और पैसे को लेकर विषमता है उसकी खाई इस के कारण चीड़ी हो गई है। यहाँ तक समाज में बात आ गई है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको बुद्धि ही नहीं है। यहाँ तक समाज में बात आ गई है कि— इस बारे में मैं आपसे अपील करूंगा कि

आप इस पर सोचिये—जिसको अंग्रेजी नहीं आती है उसको बुद्धि ही नहीं है। यह इस समाज की मान्यता हो रही है। अब लीजिए इसका क्या हो रहा है। क्या तुलसीदास, क्या गुरु नानक देव, क्या संत तुकाराम, क्या संत ज्ञानेश्वर, क्या संत राम देव, दक्षिण के संत जो अंग्रेजी नहीं जाना तो ये लेकिन जिन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह बहुत ऐसे चीजें हैं जिसको आज भी हम पढ़ते हैं और देश और समाज का मन बनाने में उसका बहुत हाथ है। ऐसे मान्यता हमारी हैं। वह लोग एक तरफ अंग्रेजी नहीं सीखें लेकिन आज समाज में यह मान्यता है और इसकी होड़ इतनी बुरी है कि यदि आप 10-15-20 साल का इतिहास आप देखें यह जो अंग्रेजी मिशन स्कूल हैं अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मामूली सा लोअर मिडल क्लास का मजदूरी करने वाला आदमी भी चाहेगा कि मेरा लड़का उसमें दाखिल किया जाए। इसलिए वह चाहता है बिना अंग्रेजी के उसकी सिविलियटी मालूम नहीं होती है और वह समझता अंग्रेजी नहीं आएगी तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि चपरासी की नौकरी के लिए भी एस. एस. सी. में अंग्रेजी उसके पास है या नहीं है यह देखते हैं। भाषा का जो सामाजिक फंक्शन है उसको भी आप देख लीजिये। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप तमिल के लिए आग्रह रखिये मुझे उस के विरोध में कुछ नहीं कहना है। किसी भी देश की प्रमुख भाषा के लिए जो बोली जाती है उसके लिए आप आग्रह रखिये। सेंटर-स्टेट रिलेशन के मामले में भी संघ और राज्यों के आपस में व्यवहार होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं उनके बारे में भी आप जरूर तमिल में लिखें और जवाब भी तमिल में कराने का अधिकार रखिये मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपका यह कहना है कि हिन्दुस्तान में अंग्रेजी

[श्री मदनमोहन मालवीय]

के लिए हम लोग हमेशा के लिए जगह बना दें अगर यह है तो यह बात आप कैसे सोच रहे हैं क्यों सोच रहे हैं । डेढ़ सौ साल अंग्रेजी शासन यहाँ रहने के बाद भी और आज आजादी के 35 साल के बाद भी जो अंग्रेजी जानते हैं वह आपमें मैं पूछना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में भी जो अंग्रेजी जानते हैं ऐसे लोगों की पापुलेशन कितनी है । What percentage of Tamil Nadu population know English? क्योंकि जब भी हम

तमिलनाडु में गये हैं । यह लोग गलत समझते हैं साउथ में सभी लोग अंग्रेजी जानते हैं । पोर्टर में भी अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं । यह बात नहीं है । असल में बात यह है कि डेढ़ सौ साल के अंग्रेजी राज्य के बाद भी अंग्रेजी का जो प्रसार यहाँ हुआ है और वह बहुत सीमित है ।

I do not know the latest percentage. लेकिन

जहाँ तक मेरी यादगिरि सही है डेढ़-दो प्रतिशत से ज्यादा व ई अंग्रेजी जानने वाले लोग इस देश में नहीं है ।

Hardly one or two percentage of the population. आप यह देखिये कि एक तरफ

अपने यहाँ ग्रैंडलैट वोट किया हुआ है, हर आदमी को आपने वोट का अधिकार दिया है । लोकतन्त्र कायम किया है और ऐसा लोकतन्त्र जिस लोकतन्त्र की भाषा लोकभाषा नहीं है । बिना जीभ या लोकतन्त्र है ।

You have a democracy without a language being understood by the whole people

इसलिए यह जो आपका अमेंडमेंट है उससे स्थिति क्या बनेगी । हिन्दुस्तान में आज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप

है, यहाँ का पोलिटिक्स है, इंडस्ट्रीज का सेट-अप है, इन सभी में ऊँची जाति के लोगों ने कब्जा कर रखा है । उसके साथ-साथ वह अंग्रेजी भी जानते हैं । तो जाति और भाषा का एक ऐसा मामला यहाँ खड़ा हो गया है जिससे गाँव में रहने वाला शहर की मजदूर बस्तियों में या झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाला आदमी जो अंग्रेजी नहीं जानता है वह समझता है कि मैं तो इन्सान नहीं हूँ । इस मारी स्थिति को क्या आप नहीं समझते हैं ? अंग्रेजी का आग्रह आप छोड़ दीजिये आप कहिये हम तमिल में दिल्ली को चिट्ठी लिखेंगे और तमिल में ही जवाब हम चाहेंगे । यह बात आप कहेंगे तो मैं आपके साथ हूँ । हिन्दी लादने का आप पर थोपने का कोई सबाल नहीं है बिना आपके चाहे लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि जो भाषा एक लोकतन्त्र में डेढ़ दो प्रतिशत लोग भी नहीं जानते हैं वह किसी डेमोक्रेटिक सेट-अप के सारे लोगों की संघ की यूनियन की भाषा नहीं बन सकती । इसलिए अगर पूरा पोलिटिक्स, आपको लोगों के बीच में जा कर के लोगों की राय मनाह-मशविरा से सारे लोकतन्त्र को चलाना है यह तो जो लोगों की जो भाषा है उसमें ही करना पड़ेगा । देश का इतिहास क्या है । आप भूलिए नहीं डी० एम० के० का जो आंदोलन आपने तमिलनाडु में चलाया, महाराष्ट्र में जो नाम ब्राह्मण मूवमेंट हुआ ये दो इलाके हैं जहाँ अगर कास्ट के विरोध में आंदोलन हुए । जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बहुत आगे आये । जो स्थिति नार्थ में नहीं है, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ । साउथ में जो सामाजिक आंदोलन हुए, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के द्वारा नान-ब्राह्मण आंदोलन हुए, तमिलनाडु में नान-ब्राह्मण आंदोलन हुए वे बड़े पैमाने

पर हुए। नतीजा उसके यह हुआ कि छोटे मध्यम जाति के जो लोग थे वे आगे आये एक जमाना था कि जब तमिलनाडु के नेता कौन थे। श्रीनिवास शास्त्री, सत्यभूति भक्तवत्सलम, राजा गोपालाचारी, वे सब ब्राह्मण नेता थे।

SHRI V GOPALSAMY Not Bhaktavatsalam (Interruptions) I wanted to correct it

श्री सद शिव बंगार्डितकर ये तो छोड़िए। श्रीनिवास शास्त्री, सत्यभूति। मैंने खाली एक नाम गिना दिया है। तीन लोगों में खाली एक भक्तवत्सलम नहीं थे बाकी सारे ब्राह्मण थे, बाद में श्री कामराज आये। यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाति और भाषा का संबंध देखिए कैसे जुड़ गया है। कौन नेता बने उस जमाने में। महात्मा गांधी जी के आने के पहले सारे देश का राजनीतिक हितान देखिए। वही सब ब्राह्मण ऊँची जाति वाले लोग राज करते थे। वकील लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी थी। ऐसा तब था कि जो उनकी सारी अडरस्टैंडिंग थी वह सिर्फ यही थी। जो पुरानी मांगे इन लोगों की है, उनको देखिये, कि हम लोगों को आई० सी० एस० में दाखिल करने का अधिकार हो। इन तरंग की जो मांगे उस जमाने में आई उनका जो सामाजिक कारण था वह उस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति का प्रभाव था, उसको भी आन याद रखिये। तो आप क्या चाहते हैं? हमने अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद उनकी भाषा यहाँ रखे यह होने वाला नहीं है। श्री कल्पनाथ राय जी भाग गये हैं। यह पाप किसका है? इस सारे पाप की जड़ स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू हैं। इन लोगों ने अंग्रेजों का लिखा हुआ इतिहास पढ़कर जो धारणाएँ बना ली, उसी का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। इन लोगों ने

कहा कि इंग्लिश इज ए विन्डो जिससे हम सारी दुनिया देख सकते हैं। English is a window which opens to the world. क्या यह सच है? आज आप जापान में जाइये। हिन्दुस्तान के जो लोग जापान में जाकर कुछ सीखना चाहते हैं। उनके लिये पहले तीन महीने का जापानी का रिफ्रेशर कोर्स होता है। जापानी वहाँ अपने लड़कों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं वह सही है। मतलब अंग्रेजी भाषा जिनको चाहिए वे पढ़ें। हमें उसमें दुश्मनी नहीं है। लेकिन यह कहना कि सार्वजनिक जीवन में सरकार में, राज्यों में हम अंग्रेजी में कारोबार करायेगे और चलायेगे यह बात जहाँ लोकतंत्र चलाना है, वहाँ चल नहीं सकती। हमारे देश में ऐसे राज्य अब बने हैं जिन्होंने प्रस्ताव किया है कि हमें अपने यहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है। लेकिन उसकी अलग पृष्ठभूमि है, अलग कारण है, क्योंकि उनके यहाँ ट्राइवल लाइफ होने के कारण एक भाषा नहीं बनी है। लेकिन यह स्थिति तमिलनाडु की नहीं है। यह महाराष्ट्र की नहीं है, कन्नड की नहीं है। हमारा साहित्य, हमारी भाषा, इतनी समृद्ध है कि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल सब तरफ कर सकते हैं। वह शास्त्रीय है साइंटिफिक है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ

How do you enrich the language? How a language is enriched? A language is enriched by using it.

भाषा का जितना उपयोग आप करेगे उतनी ही भाषा बनती है सुधरती है तथा समृद्ध होती है और भाषा के शब्द उसके साथ जुड़ जाते हैं। मुझे यह मालूम है कि कुछ 80-90 साल पहले की यह जापानी



[श्री सदाशिव वांगईकर]

भाषा की बात है। जिसको आप प्रेजिडेंट कहते हैं, चेयरमैन कहते हैं, प्रेजाइडिंग ग्राफियर कहते हैं जिसके लिये हम अपनी भाषा में अध्यक्ष कहते हैं दूसरी भाषाओं में दूसरे और नाम कहते होंगे लेकिन जापानी भाषा में वह कन्सेप्ट ही नहीं था।

मीटिंग, प्रेजाइडिंग इस तरह की कन्सेप्ट न होने के कारण जापानी भाषा में सौ साल पहले इस तरह की कोई शब्दावली ही नहीं थी। There was no word for such a thing. There was no Japanese word for President, there was no Japanese word for Chairman.

जिस सामाजिक संस्था में से यह सारा देश गुजरा, उसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी। तो भाषा को डेवलप करना और समाज की भाषा, देश की भाषा वही राज्य की भाषा हो, इस स्थिति को कायम करना है और लोकतंत्र में लोगों की जो भाषा है उसी में अगर आप काम नहीं करेंगे, तो लोकतंत्र के लोग हट जायेंगे, जैसा आज हमारे देश में हुआ है।

अब मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इसमें एक इकोनॉमिक डिफिकल्टी भी है—Language and economics are also mixed up. Please do not under-rate this.

आज दुनिया के देशों में होड़ क्या है, पर थायलैंड हमारे यहां कितने इंजीनियर्स हैं, स्क्रिड वर्कर्स हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं, क्या-क्या हैं, इस तरह की सारी दुनिया में होड़ है। क्या आप समझते हैं कि अंग्रेजी को बरकार करके उचित मात्रा में आवश्यक जिनना है, जतनी गंख्या में आप स्क्रिड वर्कर्स,

स्क्रिड लेबरर्स यहां तैयार कर सकते हैं। नहीं होगा। लोगों की भाषा में जो टेक्नीकल चीजें हैं, उन लोगों को समझानी पड़ेगी।

इसलिये भाषा का जो सामाजिक अंग है, उसको भूलिये नहीं। आप लोग जो सेल्फ-रैस्पेक्ट मूवमेंट तमिल नाडु में हैं, आपको रेप्रेजेंट करते हैं। तो सेल्फ-रैस्पेक्ट मूवमेंट में आपने बगावत की है, ब्राह्मण पुरोहित के खिलाफ, ब्राह्मण शाही के खिलाफ और आज आप दूसरे रूप के जो ब्राह्मण हैं, अंग्रेजी जानने वाले, उन्हीं के समर्थन का पाप क्यों कर रहे हैं? यह हमारी समझ में नहीं आता।

It is not consistent with your own social philosophy. It is not consistent with your own stand.

इलीट लोगों को यदि आप सारा सोपना चाहते हैं, तो जो अंग्रेजी सीखे लोग हिन्दुस्तान में हैं—Most of them belong to the elitist class.

इसलिये आज देश में यह हुआ है कनफ्लिक्ट जो पैदा हुआ है, वह राजनैतिक कारणों से हुआ है—

Politics is the reason.

और गलत अन्डरस्टैंडिंग जो थी, उससे यह कनफ्लिक्ट बना, तमिल नाडु के लोग, साउथ के लोग अगर यह डिमांड करेंगे कि हम तमिल में ही लिखेंगे, तो सारे देश का कारबार—  
I do not know what percentage of administration goes on in Tamil language in Tamil Nadu. I do not know

SHRI MURASOLI MARAN: Almost all.

SHRI SADASHIV BAGAIKAR: It is good luck. Barring the courts, you mean!

हिंदी में तो उल्टा है। हिंदी का नाम आयेगा, तो हिन्दी वाले हिन्दी का नाम लेकर चिल्लायेगे, लेकिन चार हिन्दी स्पीकिंग जो हमारे राज्य हैं, राजस्थान बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में सही मानों में कितना हिन्दी का इस्तेमाल होता है, कोर्ट में या और जगहों में—इसकी जाँच की जावे, तो मालूम होगा कि उसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।

इसलिये, श्रीमन् यह जो संशोधन आप लाये है, इस संशोधन का नतीजा यह होगा—यह जो शहाबुद्दीन जी ने फरमाया कि हम अंग्रेजी से द्वेष करते हैं, इसलिये अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं यह बात सही नहीं है। हम गुलाम नहीं रहना चाहते थे, चाहे फ्रेंच, ब्रिटिश या पोर्तुगीज हो, हम किसी के गुलाम नहीं रहना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजी का इस्तेमाल, डी-नेशनलाइजेशन का जो प्रोजेक्ट अंग्रेजों ने शुरू किया, उसको बरकरार रखेगा। जैसे गोआ के पोर्तुगीजों ने किया, डी-नेशनलाइज दी पापुलेशन, वैसा अंग्रेजी का इस्तेमाल अगर बरकरार रहेगा, तो डी-नेशनलाइज करने वाला एक प्रोजेक्ट, इरोजन सारी राष्ट्रीय दृष्टि और राष्ट्रीय वृद्धि का जो हथेला के लिये चलता रहेगा और इस में कोई राष्ट्रीय एकता कायम नहीं होगी।

इसलिये, मेरा आपसे यह कहना है, कि आप हिन्दी वर्पेज अंग्रेजी, ऐसा मत सोचिये—इट इज नाट दी क्वेरल—असल में आपको यह कहना चाहिए कि हमको यह अधिकार संविधान में हो कि हम तमिल में खाली कारोबार करेंगे, तो हमको भी इजाजत हो। और खासकर आज की दुनिया में जब

टेक्नीक और टेक्नोलोजी इतनी बढ़ गयी है कि साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो सकता है तो मैं मांग करूँगा कि आप ऐसा संशोधन लाते कि जो संघ राज्य की भाषाएं हम लोगों ने मंजूर की हैं, तमिल है, मराठी है, गुजराती है, हिन्दी है, बंगाली है उन का साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो, मसद् में हो, विधान सभाओं में हो, जैम यूनाइटेड नेशनल्स में लोग करते हैं। राइट टु यूज योर ओन लैंग्वेज, यह आप कहिए, आई एम आल फार इट क्योंकि मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान की जो भाषाएं हैं उन में बराबरी हो। कोई सुपेरियर लैंग्वेज है ऐसी बात नहीं है। हिन्दी का इस्तेमाल करने वाले संख्या में भले ही ज्यादा हों, लेकिन इस का मतलब कतई यह नहीं है कि हिन्दी भाषी को कोई खास प्रिविलेज है। आखिरकार इस को आप भूलिए नहीं कि हिन्दुस्तान की पब्लिक लाइफ में हिन्दी इन्ट्रोड्यूस की महात्मा गांधी ने। उस के पहले तो सारा कारोबार अंग्रेजी में चलता था, कांग्रेस के अधिवेशन अंग्रेजी में होते थे।

When the masses were drawn into it, the language of the masses became imperative.

हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जिस के माध्यम से हम लोग में बात कर सकते हैं, सम्पर्क कर सकते हैं। हिन्दी का हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो स्थान है वह केवल भाषा के कारण नहीं है, अगर लोगों के बीच समता कायम करनी है, आज का जो सामाजिक वानावरण है उस को तोड़ना है, आज का जो सारा सामाजिक और राजनैतिक जीवन है वह उल्टा पिरामिड है, उस की नेरोएस्ट बेस है, इस को खत्म कर के अगर ब्राडर बेस पर सोशन और इकोनॉमिक लाइफ लानी है तो ऐसी भाषा जिस को 2

[श्री मदनमोहन मालवीय]

परसेंट लोग जानते हैं उस को ला कर आप ऐसा नहीं कर सकते । ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा जिस से संघ राज्य की भाषाएं हम इस्तेमाल करे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एट आन लेबन्स इस की छूट हो और संघ राज्य, यूनिशन गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भाषा में उन के पास पत्र आये तो उसी भाषा में उस का जवाब देने के लिए उन के पास इन्तजाम हो । यही इसका सैल्यूशन है । पहले 15 साल की इजाजत आप ने दी अब 1950 में कांस्टीट्यूशन बना, बाद में आप मुकदमे लगे और इस सारे पाप के लिए जिम्मेदार वहां बैठे हैं । उन्हें कोई दृष्टि नहीं थी । उन्होंने सही इतिहास नहीं पढ़ा था । एक अनपढ़ व्यक्ति की सी दृष्टि से उन्होंने समस्या का हल ढूँढ़ा । इसका नतीजा यह हुआ है कि आज लेग्वेज के फ्रंट पर, एजुकेशन के फ्रंट पर हम मार खा रहे हैं । थ्री लेग्वेज फार-मुला आपका है । कहीं वह इम्प्लीमेंट हो रहा है ? कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है । ऐसी विडम्बना है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसी स्टेटों में हिन्दी की जो पहले अतिवार्य स्थिति थी पढ़ने के लिए उच्च स्टेडर्ड्स में उस को अब निकालते जा रहे हैं । क्या स्थिति होगी ? तो भाषा के बारे में आप का यह दृष्टिकोण गलत दृष्टिकोण है । इसी का परिणाम यह हो रहा है कि साउथ के लोग, हमारे दक्षिण के भाई इस को गलत समझ रहे हैं । इस लिए हम चाहते हैं कि इस तरह का जो संशोधन आप लाये हैं इस को आप वापस ले लें ।

You should withdraw this Bill. But instead of that, let us sit together and bring forward an amendment that the Union Government must answer all correspondence in the territory's language. You say, we shall not tolerate it. You take

that position. You say, we shall demand an answer for a letter in Tamil, in Tamil only. I will be with you. But instead of doing that, if you say, impose this, I cannot help it. I will not accept this position

इसलिए, श्रीमन, मैं इस संशोधन का इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि इस संशोधन को हम पास करेंगे तो देश की सामाजिक विषमता की खाई और चौड़ी हो जायेगी । और इस समय देश में जो इलोट ग्रुप है, जो छोटा ग्रुप यहां की सारी चीजों पर, पैसों पर, ज्ञान पर अधिकार रखता है, उसे अपने कब्जे में कर के बैठा है उस के हाथ इस संशोधन विधेयक से और मजबूत होंगे । इसलिये मैं चाहता हूँ कि श्री मारन साहब अपने इस संशोधन को वापस लें और कम से कम जो स्थिति है वह बर्दाश्त करने के लायक है इसलिये उस को ऐसी ही बनी रहने दें ।

हैराफन्द (तमिलनाडु) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूँ कि आप ने मुझे इस विल पर बोलने का समय दिया । पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ । कई लोगों को यहां पर परेशानी होगी, कुछ को हैरानी भी होगी कि हिन्दी में बोल कर मैं इस विल का समर्थन कर रहा हूँ ।

श्रीमन, भाषा एक ऐसी चीज है जो कि हर एक के प्राण और खून से मिली हुई है और जब प्रशासन उस को राष्ट्रभाषा का रूप देना चाहता है तो यह जरूरी हो जाता है कि वह देखे और यह जानने की कोशिश करे कि इस देश के अन्दर जितनी भी जनता है वह उस का समर्थन करती है या नहीं । और हर भाषा की अपनी अलग संस्कृति होती है, अपनी परम्परा होती है । वैसे

ही तमिल भाषा जो कि बहुत पुरानी भाषा है उस की अपनी एक संस्कृति है और उस का अपना व्याकरण है और मेरे ख्याल से भारतीय भाषाएँ हैं उन में से तमिल बहुत पुराना भाषा है। यहाँ पर पिछली बार जब बहस हुई थी तो पटेल साहब ने कहा था कि एकता की घंटी बज रही है। मुझे तो यह एकता की घंटी नहीं, खतरे की घंटी नजर आ रही है। जसा कि अभी श्री शहाबुद्दीन साहब ने यहाँ पर कहा था कि यह संशोधन विधेयक यहाँ पर ला कर हम लोग यह जानना चाहते हैं और यह आश्वासन मांगते हैं कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठायेगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी कि पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने जो आश्वासन दिया था उसके अनुरूप न हो। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि देयर इज नो टाइम लिमिट। जब तक अहिन्दी भाषी चाहेंगे अंग्रेजी चलेगी और बनी रहेगी। लेकिन पता नहीं यहाँ येन-केन-प्रकारेण, जब-जब उन को मौका मिलता है हिन्दी को हम लोगों पर लादने की, थोपने की कोशिश जारी रहती है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी उसी आश्वासन को दोहराया था और हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि हम हिन्दी का प्रचार जरूर करते हैं लेकिन हिन्दी थोपने के हम खिलाफ हैं। पर इस के बावजूद भी देखा गया है कि हर पल, हर घड़ी यही प्रयास जारी रहा है कि किसी न किसी तरह से हिन्दी को थोपा जाय और यही रवैया, यही रुख आज करोड़ों जनता की परेशानी का कारण बन गया है। यह एक जज्बाती चीज है। उन के जज्बात को ठेस पहुँचती है, उन की भावनाओं को ठेस पहुँचती है और यही कारण है कि बीस साल की जो कांग्रेस की सरकार थी तमिलनाडु में सिर्फ इसी

एक प्रश्न पर उस को वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि वहाँ की जनता में अविश्वास है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की जो नीति भाषा के बारे में है वह शिथिल है। कांग्रेस की नीति भाषा के संबंध में सही नहीं है। यहाँ नेता कुछ कहते हैं और रुख दूसरा अपनाते हैं। तो इस संविधान संशोधन का सिर्फ यही एक मकसद है। शर्मा जी ने कहा था कि क्या आप को विश्वास नहीं है। हम को तो पूरा विश्वास है इस सदन पर और हम चाहते हैं कि यह जो विश्वास बराबर हम को दिलाया जाता है उसको कानूनी रूप दे दिया जाय ताकि हमारे दिमाग में जो परेशानी है, हमारे मन में जो उलझन है, जो डर है वह सदा के लिये दूर हो जाय और हम शान्तिपूर्वक रह सकें।

यहाँ पर कोठारी आयोग की चर्चा की गई। कोठारी आयोग ने सिफारिश की थी तीन लैंग्वेज फारमूला हो और दक्षिण के अन्दर जो अहिन्दी भाषी स्टेट हैं उन लोगों ने उसको अपना लिया था। अपने प्रान्त की भाषा, अंग्रेजी और हिन्दी इन तीनों को सिखाना अनिवार्य कर दिया था लेकिन उत्तर भारत के अन्दर आप लोगों ने हिन्दी के अलावा या दक्षिण की किसी भाषा को नहीं अपनाया। यह भी एक बहुत बड़ी बात है जिससे कि दक्षिणवासियों के दिलों के अन्दर एक खटका है। हम लोगों ने हिन्दी को अपनाने की कोशिश की, मगर यहाँ वालों ने दक्षिण भाषाओं को सीखने का प्रयास नहीं किया।

श्रीमन्, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 1965 के अन्दर तमिलनाडु में जो घटनाएँ घटीं वहाँ खून की नदियाँ बहीं, बहुत से लोगों की भाषा

[श्री डी० होराचन्द]<sup>1</sup>

आन्दोलन में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भाषा ऐसी चीज है, जैसा कि ब्रागाइनकर साहब ने कहा कि अंग्रेजी को ज्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ किसी भाषा को महत्व देने का प्रश्न नहीं है। हर भाषा अपने अन्दर बड़ी है और अपने अन्दर सही है। पर सवाल यह है कि किसी भाषा को थोपने से हम दूसरे दर्जे के नागरिक हो जायें, इस चीज को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं। हम किसी बात पर समझौता करने के लिये तैयार हैं पर भाषा एक ऐसी ताजुक चीज है, जिनके ऊपर हम कभी भी समझौता करने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आपने सही रुख नहीं अपनाया, सही कदम नहीं उठाया तो 1965 में जो घटनाएँ वहाँ पर घटी थीं उनको पुनरावृत्ति होगी। ये कुछ कारण हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस के अन्दर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने नेताओं के दिये हुए वचनों को भूल कर हिन्दी थोप रहे हैं। एक नेता ने तो यहाँ तक बात कह दी थी कि अगर तमिलनाडू के लोग हिन्दी नहीं सीखते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं तो हम फौज भेजकर उनको हिन्दी सिखायेंगे। ये ऐसे तत्व हैं जो यहाँ की जनता को भडका देते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर क्या हो रहा है। कितनी अशांति पूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज तमिलनाडू शांतिपूर्ण देश है, वहाँ के लोग कितने उदार हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर एम० जी० रामाचन्द्रन कितने उदार हैं, भारत की एकता को कायम रखने की उनके दिल में कितनी इच्छा है, इसका आपको उदाहरण चाहिए तो मैं यहाँ सदस्य हूँ, और यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक उत्तर प्रांत से आये हुए मुझे इस सदन

का सदस्य बना कर भेजना क्या इसका प्रमाण नहीं है कि उनके दिल के अन्दर भारत की एकता को कायम रखने की कितनी इच्छा है। पर जो चीज आप किसी के ऊपर जबर्दस्ती लादना चाहते हैं तो इस चीज को मानने के लिये वह कभी भी सहमत नहीं होंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा।

अंग्रेजी अच्छी है या हिन्दी अच्छी है, यह बात नहीं है। बात यह है कि हमारी स्थिति क्या है और जब संविधान बनाने वालों ने उस समय जब हिन्दी को आफिसियल लेखन का दर्जा देना चाहा था तो उस समय भी यहाँ पर बहुमत नहीं था। बराबरी के मतों में एक मत से यह आफिसियल लेखन करार की गई और यह संशोधन यहाँ लाने का आपके दिमाग में जो शक है वह एक बहम है। हम किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। हम तो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो कोशिश है, हम यह नहीं चाहते आपके किसी ऐसे काम से हमारा दर्जा दूसरा हो जायें, हम इसको कभी मानने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्रीमन्, हमारे क्रांतिकारी नेता अन्ना ने तो यहाँ तक कहा था 1965 में, जहाँ तक मेरा ख्याल है —

“Ulagathu theemaigal anaihukkum the mootta, un Annuanin karangalukku valuvillamal irukkalam. Aanal unnai irandandarakkudi mahanakkum Hindi-kku thee mootta, un Annan Karangal endrume thuvalappovadu ilai.”

उनका कहना था कि चाहे मेरे हाथों में इतनी शक्ति न हो कि मैं इन तमाम दुनिया की बुराइयों को जला कर दूर कर दूँ पर मेरे हाथों में इतनी शक्ति मौजूद है, कि अगर हिन्दी के आने से तुम अगर दूसरे नम्बर का नागरिक होते हो तो उस हिन्दी को जलाने में मेरे हाथ कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप इस

और ध्यान दीजिये कि उनके अन्दर मेटामेटल फीनिंग क्या थी ? क्या वह चाहते थे । वैसे तो तमिलनाडू के लोग इतने उदार हैं, इतना विशाल दृष्टिकोण है उनका कि एक उत्तर भारत से आने वाले को भी यहाँ का सदस्य सदस्य बनाकर उन्होंने भेजा है । मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आप भारत की एकता को कायम रखना चाहते हैं, अखंडता भारत की रहे यह आपकी कामना है तो आपको ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण वहाँ की जनता के अन्दर परेशानी फैल जाये, उनके दिमाग में यह बात आ जाये, कि आप लोग उनका दर्जा नीचा करना चाहते हैं ।

यह बात सही है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने कई जगह देखा है, केन्द्रीय सरकार के कई कार्यालयों में मैंने देखा है कि वहाँ पर द्विभाषी आवेदनपत्र नहीं मिलते हैं । सिर्फ हिन्दी के ही मिलते हैं । ऐसा क्यों ? यहाँ पर जो कर्मचारी हैं जो यहाँ काम करते हैं केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उनको जबर्दस्ती हिन्दी सिखाई जाती है । यह क्यों ? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह सब कदम, यह सब प्रयास क्या इस दिशा की ओर नहीं है कि आप लोग हिन्दी हम पर थोपना चाहते हैं ?

एक माननीय सदस्य आप भी तो हिन्दी सीखे हैं ।

श्री डा० हीरा चन्द हा, मैं सीखा हुआ हूँ । इसलिये तो हमारे लीडर ने कहा कि इन हिन्दी वालों में जाकर कहो हिन्दी में बोल कर कहो कि हिन्दी हम पर न थोपे ।

एक माननीय सदस्य . कौन थोपता है ?

श्री डा० हीरा चन्द इसीलिये उन्होंने मुझे भेजा है । शायद आप हमारी भाषा को सही समझ जंगे । मैं आपकी भाषा में अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकता हूँ और आप समझ सकते हैं । मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि हिन्दी को थोपने की कोशिश जो हो रही है प्रयास जो हो रहा है उसको बन्द करिये । जैसा नेहरू जी ने कहा था —

“English would continue to be used as the Official language of the Union and for inter-State purposes without any time limit except when the people in the non-Hindi speaking areas agree to the discontinuance of English”

इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए । मैं आपका समय ज्यादा नहाना लगा । मैं द्वारा आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा कोई कदम न उठाये जिसके जरिये आपके रूबैरू से जो शांतिपूर्ण वातावरण अभी है स्टेट अन्दर, वह खराब हो जाये और वहाँ पर अशांति फैल जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ ।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal) Mr. Vice-Chairman, Sir, this Bill, in my view, should be analysed in the historical context of India.

उपसभाध्यक्ष (श्री ल डर्ल मोहन निराम) आप बंगला में बोलना चाहते थे ।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA . I will speak in English. Sir, if you take this Bill in our historical context, there is no evidence in Indian history before the advent of British power of a strong, stabilised central administration ruling over the entire territory from Kashmir to Kanyakumari and from Maharashtra to Meghalaya. The British imperialists in their own interests—for ravaging colonial ex-

[Shri Shankar Prasad Mitra]

ploitation—created a geographical entity which was called the Indian sub-continent. And that sub-continent not only included the territory of India today but also Ceylon, Burma, Eastern and Western Pakistan—Eastern Pakistan later came to be known as Bangladesh. Indian history shows that Ashoka and Akbar had succeeded to a great extent. In fact, the cultural influence of Emperor Ashoka had spread even to China and to South-East Asia. But only during British rule we found a stabilized, administration covering the whole territory, which, as I have already said, was known as the Indian sub-continent. It must be admitted—and truth cannot be hidden by any contrivance—that India is a multilingual, multi-racial and multi-cultural State and represents a glowing manifestation of Unity in diversity. I agree, Sir, that there should be a language which is understood by the common man throughout the country. That is why Mahatma Gandhi had pleaded the case for Hindustani. In Jawaharlal Nehru's Autobiography, Sir, Hindustani has been recommended as India's national language. Netaji Subhas Chandra Bose, when he formed the Indian National Army, had introduced Hindustani as the national language, in the Roman script. But after independence we find in many quarters a strong aspiration for imposition of Hindi, and that has created for our country numerous difficulties leading to the danger of disintegration. Sir, in 1961-62, if I recall correctly, the President of India was to visit the State of Madras—I do not remember whether it was at that time known as Tamil Nadu—and the situation was such that there were possibilities of serious disturbances in Madras centring round the visit of the President of India. That is why Pt. Jawaharlal Nehru, as the Prime Minister, had to travel to Madras and he gave an assurance to the people of South India that Hindi will never be imposed on them against their will. As a result of the assurance of Pt. Jawaharlal Nehru, came the Official Languages Act of 1963, which prescribes that English will continue for an indefinite period as an associate official language along with

Hindi. The same assurance, Sir, has been given in this House only a few weeks ago by our Prime Minister who has stated in clear and unequivocal terms that Hindi will not be imposed on the non-Hindi speaking people against their will. She has also said that English will not be imposed on the Hindi-speaking people against their will. This is the present official position as far as I know. And if that official position is being sought to be reiterated in some form or other through this Bill, this is a Bill which should be seriously taken into consideration. Sir, there are many reasons why English should be learnt by us. The first reason is that English is an international language which has been in use in India at least for the last 200 years. The second reason is that by learning English, we can enrich our own vernaculars, our own Indian languages. That has happened in the case of the Bengali language and literature. Bengali language and literature have been greatly benefited through our knowledge of English language and literature. And this was admitted by even such geniuses as Raja Rammohun Roy, Bankim Chandra Chatterjee, Ishwar Chandra Vidwasagar and Rabindranath Tagore. The third reason is that through the knowledge of English we can be acquainted with the latest theories and discoveries in science, medicine technology, philosophy, economics, political science, etc. If these are the three reasons, main reasons, principal reasons, for learning English, in my opinion, Sir, in India's Contextual reality the slogan of "Angrezi Hatao" would be tantamount to the Slogan of as "Knowledge Hatao". If you insist on "Angrezi hatao", you would invite "Knowledge hatao". I am not against Hindi under any circumstances or in any situation. Let Hindi be learnt. Let Hindi be learnt as a national language. I do not mind. Let all encouragement be given to Hindi so that Hindi may be respected more and more by people all over India. But while encouragement is given to Hindi, let us not be overenthusiastic. Let not the people of any State ever feel that they are being forced to learn or coerced into learning Hindi. Without such a feeling of

force or coercion, if they voluntarily learn Hindi as a national language, that would be the most welcome event to happen in our country. Therefore, Sir, my recommendation to the hon. Minister is that suitable provisions from this Bill should be incorporated in the Official Languages Act so that no State in India, no non-Hindi-speaking State can at any time in future have the feeling that Hindi is being sought to be imposed on them against their will or desire. Such a step is necessary in the larger interests of the unity and integrity of India. And judging from the point of view of the unity and integrity of India, I again commend the provisions of this bill to the hon. Minister for appropriate incorporation in the Official Languages Act.

SHRI HANSRAJ BHARDWAJ (Madhya Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I submit that the extreme stand taken by both sides is not correct. One extreme stand taken is that English is absolutely a foreign language and it should not be taught in India. No sane person in today's world will say that we do not like English to be taught in India. That would be relegating the position to the oriental stage. We could have stuck to Sanskrit which was originally there. One of our learned colleagues said that the more we use a language, the more refined it becomes. I do not agree. I have studied Philology. This was one of the subjects which I studied in my M.A. (Hindi). The more you use a language, it becomes "apabhhransh". It becomes rather diluted in various conditions. Today's Sanskrit is not Adi Sanskrit which was used in "Vedanta". The Vedic Sanskrit was far more difficult than today's Sanskrit. Therefore, so far as language is concerned, it is the personal acquisition of the persons concerned by Birth. Hindi cannot be denied its place. It is a fallacy of my friends to say that Hindi should not be taught in the South. This is the extreme position which spoils the case of English. Nobody is opposing English in northern India. Our friends accuse us, why do you speak in English? It is for the benefit of our southern friends that we prefer to

speak in English so that we can understand each other better, so that the view points can be better exchanged. Unfortunately Tamil will be learnt at a later stage. I have picked up Tamil, I have picked up a little bit of Telugu, because whenever we go to Telugu speaking side, we pick up. Again, we must maintain a possible common link. If at present we can maintain that link through English, why should we discard English? One of our honourable friends went to the extent of saying that it is the Brahmins who brought English to India. I think he was putting the history wrongly. Brahmins know Sanskrit much better than anybody else in the country. I know much better Sanskrit than my learned friend. The fact is when we speak in English in this House, it is for the facility of our friends that we address in a language which suits each other. Is it the Brahmins who brought that leader, Kamaraj Nadar? It was said that the only leader was Kamaraj Nadar who was brought on the basis of language. It is again a fallacy. It is Pandit Jawaharlal Nehru who brought him. Kamaraj Nadar was the greatest follower of Pandit Nehru. If anybody knows Kamaraj, he cannot deny that. It is not as though our great leaders were not liking Hindi or English. Pandit Nehru used to speak in Hindustani. In Nehru's speeches you will find a fine mixture of all the languages. Those were the speeches of a national leader. We cannot put our whole political system at bay and argue only small things saying that we are the strongest followers of Hindi or English. This is a country, as my senior colleague Mr. Mitra has just now addressed, which has unity in diversity. This is a country which has multifarious languages, multifariousness of all types, where you have to accommodate each other. You go in the south, and I agree that all the South Indians do not know English. In south India 70 to 80 per cent do not know English. They look blank if you speak to them in English. They would prefer to be spoken to in Telugu or Tamil or whatever is their language. Unfortunately that stage has not come today where we can afford to give all scientific literature or legal literature etc. in those languages. That stage would



[Shri Hansraj Bhardwaj]

come. But by then English should retain its place; otherwise, you cannot achieve anything. When you travel outside—I have visited Japan many times—in Japan you cannot communicate in Japanese. I have to address them in English; they have to address me in English. Similarly, of course, in France they prefer to speak in French; in Germany they prefer German, so far as they themselves are concerned, between themselves. Suppose the Japanese Ambassador meets us at the airport, you cannot expect me to speak in Japanese. If you want a rich heritage and culture, if you want civilisation, modern civilisation as it is, you cannot be oriental in that sense. Therefore, we must not raise political questions in the matter of language, on the question of religion. These things will not take our country any forward. We have to accommodate each other. The challenges of the extremists on the Hindi side pose as good a danger as the challenges of the English-speaking people on the other side. On the contrary, these things should be discussed in the House dispassionately and we must consider Hindi from that point of view. You cannot say Hindi is not our national language. How can you say that? Even if you take the majority of those who speak Hindi or you take even people from the south who have learnt Hindi, like Mr. Hiranand, who although coming from Rajasthan, is now in south, spoke in Hindi. Why should he speak in English? Hindi is the language of this country. Hindustani is the language of this country not because of the Hindi religion. Hindi has come from Sanskrit. Not only Hindi, but many languages have come from Sanskrit which is the ancient language, even German also. Or, what about English itself? In English you say daughter, in Arabic you say 'Dukhtar' "dauhitri" in Sanskrit. In all these languages there is no controversy so far as grammar is concerned. There are many things which are common. From ancient times all languages came from Sanskrit. There is absolutely no conflict that Sanskrit is the mother of all the languages. In Germany you will find people knowing better Sanskrit than in India. We should not hate any languages which belongs to this coun-

try. We should also learn languages which benefit our knowledge, whether it is English, French or German. Tomorrow there may be a country which is advanced in science or technology. How can you be benefited unless you know their language. That is the medium through which you can learn. I can understand that I may not be able to pick up as many languages as I should. We should not take a stance by which we create a danger for the country. One example I will give. I belonged to Haryana originally. We were learning Punjabi and I can speak very good Punjabi; I learnt it up to matriculation. But then this question of Punjabi Suba came. And what happened? We had to stop learning Punjabi. I will request that there should be no politics in languages. Pandit Jawaharlal Nehru was the embodiment of national integration. Shrimati Indira Gandhi is the embodiment of national integration. That is why we have come together. If this attitude had not been there, we would not have been found together. That is all I wanted to say.

SHRI ALEXANDER WARJRI (Meghalaya): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand to support the amendment Bill. During the course of speeches by various speakers, many speakers turned only to South Indian M.Ps. because the Bill happens to come from a Member from South India as if it is they are the only ones who want the continuation of English. But, as a matter of fact, I come from North-East, and out of seven States, practically all are using English as the official language. As stated earlier by the various speakers, Sir, in this debate the essence of the Bill is that English shall also be the Official Language of the Union in addition to Hindi and shall continue to be used for all official purposes of the Union. It shall be so till all the non-Hindi speaking States agree to use it as their official language. I need not quote here again and again what Pt. Jawaharlal Nehru has said because that has already been done by others. It would be a waste of time. I am not against learning Hindi or the propagating of Hindi. In fact, I myself am trying to learn Hindi. I would have learnt Hindi much earlier. I would have learnt Hindi during these

five years if my friends, who are pro-Hindi, who have spoken so much for Hindi, had offered to come to my house to teach me Hindi. And yet we are thinking of spreading Hindi all over the country, even to the far-flung places of Meghalaya, Arunachal and Nagaland. Even if I know Hindi, I am vehemently against the imposition of Hindi or, in fact, against the imposition of any language even English on anybody. In this connection, I would like to remind you of a statement made by Shri Lal Bahadur Shastri as the Prime Minister. What he stated in the Lok Sabha on 12th March, 1965, I quote:

4 P.M.

"I would like to say that there can be no question of imposing Hindi on those who do not know Hindi and they can continue with English even after the announcement of January 26, 1965."

As stated by my friend who has spoken just now, even our Madam Prime Minister has categorically stated again and again that Hindi would never be imposed.

Sir, the history of the country after independence witnessed the breaking up into many big States. Why were these States broken up. It is because of the question of languages. The imposition of the Assamese language in the whole of the erstwhile Assam resulted in the creation of Meghalaya as a separate State, and the creation of the Union Territory of Mizoram. The States in the North-East are not against learning Hindi; they are not against the propagation of Hindi language. In fact, various attempts are being made to spread Hindi-teaching. But I can state here categorically that any imposition of Hindi or even an attempt to impose Hindi will be met with a sharp resistance and will retard the growth of Hindi in the area, that means, the North-East. I have stated that the State of Meghalaya, Nagaland and the Union Territories of Mizoram and Arunachal are also using English as their official language, and so far we have been doing well. The Roman script is used in our different languages in the North-East. There are two languages in Meghalaya. There are many languages

in Mizoram. In Nagaland, every tribe has its own language. And all these languages are being written in the Roman script. Since English is also using the Roman script we find that English is much easier to learn than Hindi. Though broken-Hindi is widely spoken and Hindi talkies are liked by the people of the North-East, no one would ever dream of ever using Hindi for official purposes. We see nothing wrong with English. I do not know what is wrong with English. We do not consider English as a foreign language. English is not the monopoly of the British. Many countries who have shed the yoke of the British are still continuing with English and are retaining English as their official language. And they have developed it in their own genius. We in India also are not speaking the English language of the British. We are speaking the Indian English. The Indian English has its own characteristics. And we can say that those characteristics are pakka India characteristics. While I do not want to say that Hindi-speaking States should take English for their benefit, at the same time, I want to tell their leaders that they should not try to impose Hindi on the non-Hindi speaking States. This imposition will be for their benefit only and for the benefit of the Hindi-speaking people. Why am I saying this? This is because, nobody can deny the advantage that a Hindi-speaking person would have over a non-Hindi speaking person, be it in business, be it in the competitive examinations. Even on the floor of this very House, a person who comes from a non-Hindi speaking State would always be at a disadvantageous position. While I appreciate the arguments of the various speakers of the pro-Hindi section of the House, I sincerely doubt their sincerity. Speaking for Hindi on the floor of the House or on political platforms is allright. But they forget one thing. They forget that many of their sons, many of their daughters are attending Montessori schools, convents, schools where English is the medium. The English medium schools in Mussoorie, Simla, Nainital etc. are full of the sons of Ministers, politicians, high officials and these are the people who are supposed to be the stalwarts of Hindi.

[Shri Alexander Warjri]

Lastly, Sir, one of the speakers was saying about having confidence in Parliament on the question of Official Language. Just now, my friend on that side has said that he has confidence. But in regard to Official Language, I have no confidence. I, from the North-East, have no confidence in Parliament. Even Pandit Nehru and Mr. Shastri had some doubts because they categorically stated that only when the non-Hindi speaking States are ready to adopt Hindi as the Official Language can Hindi be made the Official Language of the Union. Now, my State, Sir, is represented only by two MPs in the Lok Sabha and by this poor self, only one, in the Rajya Sabha. So is the case with Nagaland, with Mizoram, with Arunachal Pradesh and with Manipur. We are only a drop in this Indian Ocean. Can we have confidence in the Parliament which is dominated by Hindi-speaking MPs, many of whom are bent up on imposing Hindi? From the speeches, I gather, they are bent upon imposing Hindi. Can we have confidence in them?

It is for this reason, Mr. Vice-Chairman, Sir, that we, in the North-East, have no confidence in all-India parties, because, we do not want to lose our identity. Can we be blamed because we are trying to preserve our identity? In conclusion, Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to say that if the country is to prosper, if the country is to march forward, let us stop splitting hairs on the question of Official Language. Let us not stir the hornet's nest. Let us run the country in the way it has been run all the time. Imposition of any language in any way will only bring chaos and disintegration of the country. Thank you.

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश)

उत्तमाध्यक्ष महोदय, इस भाषा के सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और हमारे भाई मारन साहब ने जो संशोधन पेश किया है भाषा के संबंध में मैं उन से पहले आग्रह करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वे देश की स्थिति को समझने की कोशिश करें कि देश केवल तमिलनाडु

ही नहीं है। वह हमारे शरीर का एक अंग है और मैं ऐसा मानता हूँ और भाई मारन साहब भी उसे अपने एक अंग के रूप में माने यह चाहता हूँ। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो संपूर्ण राष्ट्र एक जुट हो कर अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा था। उस वक्त न तो तमिल का सवाल था और न हिन्दी का सवाल था और न बंगला का सवाल था। हमारे मित्र साहब यहां बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वे हमारी बात को गौर से सुने। उस वक्त सवाल था कि अंग्रेज यहां से जायें और अंग्रेजी का जो अधिपत्य है जो दो सौ वर्ष से देश के सीने पर अंग्रेजी बैठी हुई है वह हटे। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी हुकूमत हमारा आर्थिक शोषण तो कर ही रही थी, साथ ही हमारे बीच में सामाजिक दुराव भी पैदा कर रही थी और भाषा के सवाल पर भी हमें बहका रही थी। हमारी भाषाओं को विकसित नहीं होने दे रही थी। इन सारी परिस्थितियों में हम अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वह हम केवल इस लिये नहीं लड़ रहे थे कि आजादी जब मिलेगी तो उस के बाद यह सारे हक हम को हासिल नहीं होंगे। आजादी का मतलब क्या होता है? मैं मार्ग साहब को आजादी का मतलब सुनाना चाहता हूँ। किसी भी राष्ट्र का संविधान जो होता है वह उस की आत्मा का काम करता है और संसद् उस के हृदय का और मस्तिष्क का काम करती है और भाषा उस की जिह्वा का काम करती है। जिस राष्ट्र के पास यह तीन चीजें न हों वह राष्ट्र कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। दुनिया के इतिहास में मैं कुछ मिसालें आप के सामने रखना चाहता हूँ। मैं ऐसी बहस नहीं करना चाहता कि हिन्दी लादी जा रही है या

नहीं लादी जा रही है, अंग्रेजी बनायी जाय या न बनायी जाय, इस विवाद में मैं इस समय नहीं जानना चाहता। मैं दुनिया के इतिहास की बात करना चाहता हूँ और अपने भाई मारन साहब को बताना चाहता हूँ कि आप देखें कि चन्द्र गुप्त मौर्य के काल से ले कर आज तक आप देखिये कि जो जो बादशाह रहे हैं, जो जो हुकूमत रहे हैं हजारों वर्ष का इतिहास उठा कर आप देखेंगे तो पायेंगे कि जो राजा होता था वह जनता की भाषा में काम नहीं करता था। जन भाषा में वह कार्य नहीं करता था। वह कार्य करता था ऐसी भाषा में कि जिस का आम जनता नहीं समझती थी क्योंकि आम जनता अगर राजा की बात को समझ जायगी राजा की भाषा को समझ जायगी, राजा की भाषा अगर उस की समझ में आ जायगी तो राजा हरगिज गद्दी पर नहीं बैठा रह सकता था। वहाँ पर लोकतन्त्र आधारित राष्ट्र बन जायगा। राजा राजा नहीं रह जायगा। आज यह देश लोकतांत्रिक देश है। आज हम प्रजातांत्रिक देश में विचरण कर रहे हैं। आज हम डेमोक्रेसी में विचरण कर रहे हैं जहाँ पर लोकशाही है, जहाँ पर जनता की सरकार है। किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है। अब आइये, मित्र साहब और आगे आ जाइये। जब मुगल बादशाह आये, जब सिकन्दर आया उनके बाद जब यहाँ पर मुगल बादशाहों का राज हुआ तो उन्होंने अरबी भाषा में काम शुरू किया जो कि इस देश की भाषा नहीं थी। इस देश के लोग उस भाषा को नहीं समझते थे मगर उनका राजकाज उसी भाषा में होता था।

उपसमाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) अरबी नहीं फारसी में कहिये।

श्री रामेश्वर सिंह आप हमारी बात सुनिये। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुनिये। अरबी में उन्होंने काम शुरू किया। अरबी के हाथ से सत्ता फारसी के हाथ में आई तो फारसी में काम शुरू हुआ।.. (बांधवान)

श्रीमन्, मुगल जब आये तो उन्होंने उर्दू में काम शुरू करना आरम्भ किया। उर्दू भी इस देश की भाषा नहीं थी लेकिन उन्होंने उर्दू में काम शुरू किया। यहाँ पर तब पाली और प्राकृत भाषाये जन-भाषाये थी लेकिन सस्कृत के पंडितों ने जिसको आप कह सकते हैं वर्ण व्यवस्था ने, इस देश में सस्कृत में काम शुरू किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह ऐतिहासिक तथ्य क्या भले या सकते हैं? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हवा में बात करें। मेरे हाथ में भारत का संविधान है दूसरे हाथ मैं राजभाषा आयोग की रिपोर्ट है। इनको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। मैं लिखकर कोई बयान नहीं लाया हूँ। मैं पढ़कर, अध्ययन करके जो मेरा 30-35 वर्षों का राजनीतिक जीवन है, उस राजनीतिक जीवन के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। हमको आप डिम्बर्ब मत कीजिये। (बांधवान)

श्रीमन्, सुनीति कुमार चटर्जी ने एक किताब लिखी—डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज। वह किताब लंदन में पहले छपी। एकमात्र जीवन में, उन्होंने पुस्तक लिखी डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज, वह किताब अभी 5-10 वर्ष पूर्व दुबारा रिप्रिंट हुई बहुत दिनों के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ मित्र साहब कि जब अंग्रेजी राज्य यहाँ पर था, जब यहाँ विदेशी हुकूमत थी तो हमारे राष्ट्र के कर्गधारों ने देखा कि यहाँ पर अंग्रेजी

[श्री रामेश्वर सिंह]

साम्राज्य हुकूमत कर रहे हैं और हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, सामाजिक अत्याचार कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि नगेन्द्र नाथ बसु ने 25 जिल्दों में 1895 में बंगला विश्व कोष निकाला। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? 1896 में हिन्दी विश्व कोष उन्होंने 25 जिल्दों में निकाला जिसको आज आप कहते हैं—इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका, जिसको पढ़कर आप मस्त हो जाते हैं। हिन्दी विश्व कोष की आज से 90-100 साल पहले क्या आवश्यकता थी? बंगला विश्व कोष की तब क्या आवश्यकता थी? किस लिए बंगला विश्व कोष का निर्माण किया गया? इसलिए कि हम दिखा सकें कि हमारी भाषा तुमसे ज्यादा सक्षम है। यह काम हिन्दी इलाके में नहीं हुआ। मैं हिन्दी इलाके का रहने वाला हूँ उपाध्यक्ष महोदय, मगर यह काम बनारस में नहीं हुआ, यह काम राजस्थान में नहीं हुआ, यह काम पटना में नहीं हुआ, यह काम पाटलीपुत्र में नहीं हुआ, यह काम कौशम्बी में नहीं हुआ? यह काम अयोध्या की नगरी में नहीं हुआ, यह काम कृष्ण की नगरी में नहीं हुआ। यह कहाँ पर हुआ? राम कृष्ण परमहंस को धरती पर हुआ। यहाँ पर हिन्दी विश्व कोष का निर्माण हुआ। आगे चलिये। शब्दकल्परुम सस्कृत का महान विधान पाँच चीजों का निकला या नहीं, यह बताइये? 22 जिल्दों का 'वाचस्पतियम्' सस्कृत विश्वकोष निकाला। 25-30 वाल्युम में अंग्रेजी इन्साइक्लोपीडिया है। इसी तरीके से सस्कृत भाषा में सस्कृत वाचस्पतियम जीवानन्द विद्यासागर ने निकाला।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA  
Sir, he is talking about Nagendranath Basu, but let him also talk about Iswar Chandra Vidyasagar, Raja Rammohan

Roy and Michael Madhusudan Dutt and what their views were

श्री रामेश्वर सिंह मैं आ रहा हूँ। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर वगैरह लोग कब आए थे? नगेन्द्र नाथ बसु पहले आए थे या ईश्वर चन्द्र पहले आए थे?

श्री शंकर प्रसाद मित्र राम मोहन राय पहले आए थे।

श्री रामेश्वर सिंह राम मोहन राय पहले आए थे। मैं कहना चाहता हूँ कि एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल का निर्माण किस ने किया था

श्री शंकर प्रसाद मित्र सर विलियम जोन्स ने।

श्री रामेश्वर सिंह राजेन्द्र लाल मित्रा ने किताब लिखी है या नहीं? लिखी है तो आप मेरे साथ बात करिये। आप ऐसा मत सोचिए मित्रा साहब कि यहाँ मामला समाप्त हो जाता है। दुर्गा चंद लाहिरी ने 139 वाल्युम में सम्पूर्ण चारों वेदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। एक जिल्द में नहीं किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है मैं अपने बंगाल के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि यह सब जो हुआ, क्यों हुआ? क्यों लोगों ने इसकी आवश्यकता महसूस की? मारन साहब आप तमिलनाडु के हैं न, आपने ही यह सशोधन रखा है न? यह सुब्रह्मण्यम भारती का फोटो है या नहीं? सुब्रह्मण्यम भारती कौन थे?

श्री शंकर प्रसाद मित्र तमिल पोयट।

श्री रामेश्वर सिंह तमिल पोयट के माने तमिल कवि वह अंग्रेजी के कवि नहीं थे तमिल के कवि थे। उन्होंने कहा था जब महात्मा गांधी जी के साथ

1919 में राजा जी के निवास पर मीटिंग हो रही थी। महात्मा गांधी जी गये हुए थे और उनके साथ महादेव देसाई थे। मीटिंग किस लिये हो रही थी? मीटिंग हो रही थी अंग्रेजी सल्तनत को, साम्राज्यवादी ताकत को मिटाने के लिये। उस वक्त तमिल का सवाल नहीं था। मीटिंग हो रही थी और सुब्रह्मण्यम भारती मीटिंग में धोती पहने हुए धुस गये। धुस कर क्या कहते हैं कि गांधी जी कल शाम को पांच बजे हमने मीटिंग रखी है। मोहन दास कर्मचन्द जी, आपको चल कर प्रेजाइड करना है। मैं पढ़ रहा हूँ। मद्रास में राजाजी के निवास पर गांधी जी, प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर रहे थे तभी एक व्यक्ति अचानक प्रवेश कर गया। सीधे गांधी जी के सम्मुख पहुंच कर कहता है कि कल संध्या को हमने एक सभा का आयोजन किया है। मैं चाहता हूँ कि आप उस सभा की अध्यक्षता करें। यह कब की बात है? यह 1919 की बात है। आगन्तुक के इस व्यवहार से सभी लोग स्तब्ध रह गये लेकिन गांधी जी ने अविचलित कहा कि 'महादेव देसाई जी के साथ बात करिये। महादेव जी अगर तय कर लेंगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।' राजा जी ने जो बात कही है वह बहुत लंबी है, इसलिए इस वक्त मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी ने राजा जी से पूछा कि यह तेज-तर्रार आदमी कौन है तो राजा जी ने कहा कि यह तमिल का महान कवि सुब्रह्मण्यम भारती है। तब गांधी जी ने कहा कि मैं इनके प्रोग्राम में जरूर जाऊंगा। यह बात मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि श्री सुब्रह्मण्यम भारती बनारस भी आए थे। उन्होंने वहां से अखबार

निकाला था। उन्होंने मद्रास से जब अखबार निकाला तो अंग्रेजों ने उस पर पाबन्दी लगा दी और अखबार निलकना बंद हो गया। दो साल के बाद फिर उन्होंने अखबार निकाला, लेकिन अंग्रेजों ने फिर उस पर पाबन्दी लगा दी और तब सुब्रह्मण्यम भारती तमिलनाडु छोड़कर बनारस आ गये और सात-आठ साल तक बनारस में रहे और वहां से हिन्दी में उन्होंने अखबार निकाला। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को समझें और हमारी बातों को समझें। आप जानते हैं कि हमारे देश में विषमता बढ़ती जा रही है। इस देश में अंग्रेजी की हिमायत वही लोग करते हैं जो हिन्दी को आगे नहीं आने देना चाहते हैं और इस देश में विषमता को बढ़ा रहे हैं। मारन साहब आप भी उनकी भावनाओं में बह रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री सुनीति कुमार चटर्जी ने केवल एक ही किताब लिखी थी और वह लिखी थी डेवलपमेंट आफ बंगाली लैंग्वेज। श्री जीवानन्द विद्यासागर ने दो सो किताबें लिखी थी और श्री नगेन्द्र नाथ बसु ने बीसों किताबें लिखी और श्री दुर्गाचन्द्र लाहिरी ने 140 जिल्दों में वेदों का अनुवाद बंगाली में छपा था। क्या आज कोई वेदों का अनुवाद अंग्रेजी में कर सकता है? मैं समझता हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता है, अगर कर देगा तो मैं राज्य सभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चला जाऊंगा। मैं चारों वेदों का नाम बोल देता हूँ। ऋग्वेद ... (व्यवधान)

**SHRI SANKAR PRASAD MITRA:**  
If Mr. Rameshwar Singh goes, the charm of the Rajya Sabha will be lost.

श्री रामेश्वर सिंह : इसी तरह से मक्समूलर ने सीक्रेट बुक लिखी और

[श्री रामेश्वर सिंह]

मैनुलिन ने भी क्रांतियों लिखीं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की हिमायत वे लोग कर रहे हैं जिनके वालिद अंग्रेजों के दरबार में नौकरी करते थे और उनके बेटे आज भी अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए वे इस देश में अंग्रेजी को बनाये रखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस देश में कितनी विषमता है? मैं उस इनके से आता हूँ जहाँ पर इंसान गोबर में से अन्न निकाल कर खाता है। इतनी विषमता है हमारे देश में। आज हमारे देश में यह स्थिति है कि जो पुअर कम्युनिटी के लोग हैं बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं वे ठाकुर और ब्राह्मण के सामने चारपाई पर नहीं बैठते हैं, जूता नहीं पहनते हैं, उनके सामने थाली में भोजन नहीं करते हैं, उनके सामने मकान में नहीं रहते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजी की वकालत वही लोग करते हैं जिनके वालिद अंग्रेजों की नौकरी करते थे। आज हमारे देश में हालत यह है कि वाइस-चांसलर का लड़का वाइस-चांसलर बनता है और कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनता है और मिनिस्टर का बेटा मिनिस्टर बनता है और चौकीदार का बेटा चौकीदार हो रहता है। क्या आज तक किसी हल जोतने वाले को राष्ट्रपति या प्रधान मंत्री बनाया गया है?

श्री विट्ठलराव मधवराव जाधव :  
आपका बेटा एम. पी. बनेगा।

श्री रामेश्वर सिंह : बेटे या बेटों को एम. पी. बनाने वाली माँ तो यहाँ है। मैं श्री मारन जी से कहना चाहता हूँ कि हमें इस विषमता को मिटाना है। अंग्रेजी के इस देश में रहने से यह विषमता नहीं मिटेगी। अंग्रेजी से इस देश का कल्याण नहीं होगा। केवल हाफ परसेंट लोग इस देश में अंग्रेजी जानते हैं, बाकी अंग्रेजी नहीं जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि जब 99 परसेंट लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो फिर अंग्रेजी भाषा के लिये क्यों ये लोग जोर डालते हैं? चन्द लोगों के स्वार्थ के लिये। जैसे चंद स्वार्थ के लिये खालिस्तान का नारा देकर डराया जा रहा है कि हिन्दुस्तान का हम बंटवारा करवा देंगे। इसी प्रकार से आप भी हमको डरा रहे हैं कि भाषा के नाम पर अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तमिलनाडु अलग हो जायेगा, हम तमिलियन अलग हो जायेंगे। लेकिन तेलुगू के साथ क्यों मार करते हो? ब्याथ? तमिलियन तेलुगू वाले को क्यों मारता है, तेलुगू तमिलियन को क्यों मारता है? यह क्या है। गुरुमुखी वाला क्यों मारता है देवीलाल को और देवीलाल क्यों मारता है गुरुमुखी वालों को। यह केवल इसलिये वे राष्ट्र का ध्यान इस ओर ले जाना चाहते हैं। मारन साहब मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। आप ले लें रमिया को। अंग्रेजी 400 वर्षों से... (यसम काँ घंटी)

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा रेफरेंस देना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लडली मोहन निगम) : आप अब समाप्त करिये।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूँ।

आप अंग्रेजी जानते हो। मार्क्स कब पैदा हुए 1859 में। लेकिन 400 वर्षों से यूरोप विकसित है इंडस्ट्री में। यूरोप का डेवलपमेंट हुआ है 400 वर्ष पहले इंडस्ट्री के मामले में लेकिन हम आज से चार सौ वर्ष पहले संस्कृति के मामले में डेवलपड थे, कल्चर के मामले में डेवलपड थे, उस समय हमारा कल्चर जो था वह मोन्ट सिक्लाइज्ड

था। अब चार सौ वर्ष बाद आज दुनिया भर में अंग्रेज, जिनकी एक छोटे से इलाके में आबादी है उपसभाध्यक्ष महोदय, जितनी कुर्सी में आप बैठे हैं, दुनिया में इतनी ही कुर्सी के बराबर उनका एगिया होगा मगर आज वह दुनिया के ऊपर हावी होना चाहते हैं।

एक भिन्नोद्य सदन्य : जितना एगिया कुर्सी का है उतना एगिया नहीं है।

श्री रामेश्वर सिंह : धनी का जितना एगिया है उस अनुपात में। दुनिया के पैमाने पर जो उनका एगिया होगा वह शायद इतना ही होगा। लेकिन जर्मन लोग आज भी अंग्रेजी का आधिपत्य नहीं मानते, जर्मन क्यों नहीं अंग्रेजी का आधिपत्य मानते, फ्रेंच क्यों नहीं अंग्रेजी का आधिपत्य मानते, रूस नहीं मानता। आज दुनिया में यूरोपीय देश अमेरिका इन्क्लूडिंग यू. के. ये रूस को दबाना चाहते हैं। लेकिन रूस की वन लैंग्वेज है, वन संविधान है। रूस का जो संविधान है उस संविधान में है 'उपसभाध्यक्ष महोदय की... (समय की बंटी)

दो मिनट... (व्यवधान) ...

सोवियत रूस वाली बात हो जाये। तो जो संविधान है सोवियत रूस का उसमें वहाँ पर कोई लैंग्वेज का सवाल नहीं है। यह जो रामामूर्ति साहब ने कहा, इस समय वे यहाँ पर नहीं है मार्क्स की मेरे पास किताब है, मैं इस पर बहस नहीं करता, मगर रामामूर्ति जी ने कह दिया कि रूस में कई भाषाये राष्ट्रीय भाषाये है। लेकिन रूस की राष्ट्रीय लैंग्वेज है रूसियन, जापान में राष्ट्रीय भाषा है जापानी, चीन में चाइनी। इसलिये आप खुद इस पर सोचें। यह हमारा देश है और हम और

आप मिलकर यहाँ कितना बढ़िया काम करते हैं। लेकिन अगर इसका डिवीजन कर दिया जाये, देश का बंटवारा हो गया तो तमिल के साथी हमको यहाँ नहीं मिलेंगे और जिस तरह से जितनी जगह पर बनर्जी साहब बैठे हुए हैं उतनी जगह उनको मिलेगी। इससे क्या नतीजा होगा यह आप देख लें। दुनिया के तमाम देशों का उदाहरण आपके सामने है। बंगला देश का क्या हुआ? पाकिस्तान का क्या हुआ। यदि आप देश को बनाना चाहते होते तो मैं यह... (व्यवधान) ... मैं यह कह रहा हूँ कि अगर देश का बंटवारा हो गया यह हम सब के लिये घातक होगा। मैं सोवियत संघ की बात कह रहा हूँ। सोवियत संघ इसलिये मजबूत है कि उसकी एक भाषा है। इसलिये कानून मंत्री जी मैं आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ। दो मिनट में मैं खत्म कर दूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडल मोहन निगम) : आप खत्म कर दें।

श्री रामेश्वर सिंह : आप मेरे ऊपर रहम कीजिये दो मिनट कानून मंत्री जी से बात करना...

SHRI V. GOPALSAMY. In his dictionary, "2 minutes" means 10 minutes:

श्री रामेश्वर सिंह : उन्होंने कह दिया 10 मिनट लेकिन मैं दो मिनट मंत्री जी से चर्चा करना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री लाडल मोहन निगम) : मैं दूसरे को बुला दूँगा अगर आप नहीं मानेंगे।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं अब थोड़ा कानून मंत्री जी से बात करना चाहता हूँ। कानून मंत्री साहब क्या चाहते हैं? देश को युनाइटेड रखना चाहते हैं या



[श्री रामेश्वर सिंह]

तोड़ना चाहते हैं ? आज जो देश की पोजीशन है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ मैं कहूँ कि आपको मैं मदद करूँगा । आपने जितना अन्याय किया है देश के साथ जितना आपने गलत काम किया है मैं कभी आपको सपोर्ट नहीं करूँगा । मैं आज कह रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ हम उन गलतियों को माफ कर सकते हैं आपको वरना आज भी आप सुधार जाइये । 1947 में बटवारा कर के जिस मुस्लिम लीग ने देश का बटवारा किया और पाकिस्तान बन गया भाषा के सवाल पर इकोनॉमी के सवाल पर सोशल सवाल पर देश का बटवारा हो गया और आपने क्या किया ? जिस मुस्लिम लीग की वजह से देश का बटवारा हुआ उसी मुस्लिम लीग के साथ आपने कोलीशन गवर्नमेंट बनाई क्यों नहीं आपने उसको बैन किया, क्यों नहीं हिन्दू महासभा को बैन ? क्यों नहीं डी. एम. के. को बैन किया आप करते हैं ? क्यों नहीं अकाली दल को आप बैन करते हैं ? क्यों नहीं तेलंगु देशम को बैन करते हैं ? अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं बैन करते हैं इन पार्टियों को ?

SHRI V. GOPALSAMY. Do you say these regional parties should be banned?

SHRI RAMESHWAR SINGH: No, no regional parties should be banned.

भाषा के आधार पर, कम्युनल आधार पर जो पार्टी बनेगी उसको आप बैन करें । जो निगबिस्टिक आधार पर पार्टी बने जो धर्म के नाम पर पार्टी बने, जो भाषा के नाम पर पार्टी बने, जाति के नाम पर जो पार्टी बने जो धर्म के नाम पर पार्टी बने उसको आप बैन करें । यही मैं कहना चाहता हूँ । कम्युनिस्ट .. (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री लडली मोहन निगम) श्री रामेश्वर सिंह जी आप समाप्त करें । (व्यवधान) उनको छोड़िये आप समाप्त किये ।

श्री रामेश्वर सिंह सोशलिज्म का मान्य होगा

उपसभाध्यक्ष (श्री लडली मोहन निगम) रामेश्वर सिंह जी,

श्री रामेश्वर सिंह . आप के साथ सहमत होने के लिये मैं तैयार हूँ बशर्त कि आप कड़ाई के साथ मे, भारत सरकार के लिये समय आ गया है जब कड़ाई के साथ व्यवहार करेंगे और मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा आग्रह करूँगा कि आप अपना सशोधन वापिस ले लें और नार्दन इंडिया के जो बैकवर्ड कम्युनिटी के शेड्यूलड कास्टस और शेड्यूलड ट्राइब्स के लोग हैं आपने वहाँ पर हक लिया है ब्राह्मणवाद वहाँ पर खत्म किया है, वहाँ से आपने ब्राह्मणवाद को खत्म किया है, मैं इसके लिये आपको मुबारकवाद देता हूँ नार्दन इंडिया में ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिये मैं आपका सहयोग चाहता हूँ । यही मेरा आग्रह है आप एक राष्ट्र भाषा को मानो वही देश जिन्दा रह सकता है जिसकी एक राष्ट्र भाषा हो, वही राष्ट्र जिन्दा रह सकता है जिसकी एक राष्ट्र भाषा हो, भाषा भूषा एक हो जाये । भाषा के सवाल पर और भूषा के सवाल पर मान लीजिये . (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : मछली नहीं छोड़ेंगे, आप के लिये .. (व्यवधान)

श्री रामेश्वर सिंह भोजन का जहा (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री लडली मोहन निगम) : देखिये मैं आपसे कह चुका हूँ ।

आप सबसे ज्यादा समय ले चुके हैं। मैं आपसे कह चुका हूँ आप समाप्त करें।

**श्री रामेश्वर सिंह :** एक मिनट मेहरबानी कर के दे दीजिये। यह जो मैं कहा रहा था, भोजन ऐसा ही तो भोजन जैसे यूरोपियन लोग खाते हैं उनके खाने का सिस्टम अलग है। मान लीजिये हम अपनी मां बहनों को उन्हीं का पोशाक पहना कर घुमा दें तो हम को लोग क्या कहेंगे ? आप यह देख लीजिये उनका पहनावा अलग है, उनका वेष अलग है, उनकी भूषा अलग है, उनकी भाषा अलग है, हम और उनमें फर्क है उनकी भाषा में भी फर्क है, भूषा में भी फर्क है और सब मामलों में फर्क है तो उपसभाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं कर रहा हूँ कि नारन साहब आप देश के साथ न्याय करो... (व्यवधान) आज देश में अंग्रेजी साम्राज्यवाद चला कर जो लोग यहाँ चलाना चाहते हैं उनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री लाडली मोहन निगम) :** अच्छे अब समाप्त करें।

**श्री रामेश्वर सिंह :** लेकिन आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। यह क्यों मैं कह रहा हूँ। इस के लिये जो मित्र साहब ने नाम लिया मैंने मित्र साहब को गिना दिया, कि नरेन्द्र नाथ बसु ने महसूस किया था कि यहाँ पर लोग अंग्रेजी लाद रहे हैं इसलिये उन्होंने बंगाली का अभिधान तैयार किया, हिन्दी का तैयार किया, संस्कृत का अभिधान तैयार किया, लेकिन अंग्रेजी का एक भी तैयार नहीं किया। अगर यह साबित करेंगे तो मैं गुलामी मान लूंगा।... (व्यवधान) आप जस्टिस रहे हैं आप हाइ कोर्ट में भी जस्टिस रहे हैं अगर एक भी किताब उस तरह का अंग्रेजी, किसी बंगाली ने तैयार किया है तो मैं आपकी गुलामी मान लूंगा...

(व्यवधान) उसी तरह से लिखा जैसे आप लिखते हैं, पढ़ते हैं... (व्यवधान) हम लेख की बात करते हैं, स्क्रिप्ट की बात नहीं करते हैं... (समय को घंटी) खत्म कर रहा हूँ। इनका जो संशोधन है, मैं इनके आग्रह के साथ, बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि आप इसको वापस लें लीजिये, देश का भला करिये, देश की नीतियाँ रखिये। आप डरिये मत हमसे। हमसे बहुत बड़ा दोस्त और मित्र इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। अंग्रेजी आपकी दोस्त नहीं हो सकती है, हम ही हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थे मैं इस बात का बिल का विरोध करता हूँ।

**श्री संयद रहमत अली (आन्ध्र प्रदेश) :** मोहम्मिद वाइस चैयरमैन साहब, बड़ी देर से हमारे इस हाउस में हिन्दी के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात को मैं सुन रहा हूँ। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे थोड़ा सा वक्त इनायत फरमाया है। मैं इख्तियार के साथ उन दोस्तों को जो अपने जहनों ख्याल में यह बात रखते हैं कि उनके सिरों पर हिन्दी का जबरदस्ती मुसलत किया जा रहा है यह कहना चाहता हूँ कि वे इस शकों शुबह को अपने दिलों, दिमागों से निकाल दें। मैं इस मोके पर यह बात भी बतलाना चाहता हूँ कि मैं भी इस शोक के तेलगू बोलने वाली रियायत से ताल्लूक रखता हूँ और मेरे सामने पूरे देश का नक्शा है और पूरे देश के जद्दो जहदी, आजादी की तारीख है। मैं अपने दोस्तों को यह बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर मैं जुबान की बुनियाद पर अलहिदा पसंदगी के रूझानात देश में पैदा करने की कोशिश करेंगे तो यह देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए कि हिन्दुस्तान रंगारंग फूलों का एक गुलदस्ता है। हिन्दी

[श्री सैयद रहमत अली]

बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, तामिल बोलने वाले या उर्दू बोलने वाले हिन्दुस्तानी की कमजोरी की अलायत नहीं है बल्कि ये सब जिस तरह से रंगा रंग फूल मिलकर एक गुलदस्ते की जीनत को और खुतसूरती को बढ़ाते हैं उसी तरह से भाति भाति की बोलिया हमारे मुल्क की जीनत और खूबसूरती में इजाफा करने का जरिया और वाइस बनती है। हमारे जहन में यह बात होनी चाहिए कि जुबान नफात पैदा करने या एक इन्सान से दूसरे इन्सान के दरम्यान फसल और दूरी पैदा करने का जरिया नहीं होनी है। बल्कि जुबान एक दूसरे को समझने और एक दूसरे को अपने ख्यालात को पहुंचाने का जरिया और वसीला होती है। हमारे जहन में यह बात भी होनी चाहिए कि जब सात समुंदर पार से मुन्गी भर आये हुए गोरे, हिन्दुस्तान की आपसी इख्तिनाफात का फायदा उठाते हुए हिन्दुस्तान के गले में गुलामी की तौक को पहना गये तो उन्होंने बड़ी ही ऐय्यारी और मक्कारी के साथ हिन्दुस्तान को गैर ज्यागाफियाई अंदाज में तकसीम किया और उसी ज्यागाफियाई अंदाज की तकसीम के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में हिन्दुस्तान की लिसानी असाज पर यानी लिग्विस्टिक बेसिस पर तंजीमी जदीद का मत लबा किया। जब हिन्दुस्तान ने महादरे बतन के गले में पड़ी हुई गुलामी की तौक को निकालकर फेंका और 15 अगस्त 1947 में जब आजादी का सूरज हिन्दुस्तान की सरजमीन पर अपनी नूरानी किरणें बिखेरने लगा तो आजादी के थोड़े ही अर्से बाद 1950 में 26 जनवरी को एक दस्तूर मजूर किया गया और उम दस्तूर में हिन्दुस्तान में बोली और समझी जाने वाली 14 और 15 जुबानों को हमारी कौमी जुबानों की हैसियत और

कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही जो 1930 में हमने हिन्दुस्तान की गैर जुयागाफियाई तकसीम को खत्म करने हुए लिसानी असाज पर हिन्दुस्तान की तंजीमी जदीद की मांग इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से की भी थी।

1956 में हिन्दुस्तान के लिसानी असाज पर तंजीमी जदीद और लिसानी इलाको में उन लिसानी और इलाकाई जुबानों को तरक्की करने के मकावे दिये गये। लेकिन यह बड़ी बदबख्ती की बात है कि हमारे तमिल नाडु के दास्त यह समझते हैं कि हिंदी उनके सिरो पर जबर-जस्ती लागू की जा रही है।

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुए]

अगर हम हिंदी से बिलावजह से दुश्मनी बरतने की कोशिश करें, तो यह न तो अपने इलाके की, न अपनी रियासत की कोई खिदमत है और न यह मुल्क और कौम की कोई खिदमत की बात होगी। मैं बड़ी ही दस्तबंदी के साथ एक हिन्दुस्तानी शहरी की हैसियत से अपने दोस्तों से इस बात की दखलति करना चाहता हू कि वह अपने जहन में इन बात को निकाल दें कि हिंदी हमारी कौमी वहदत में या हमारे कौमी यक-जहती में कोई कमजोरी पैदा करने का जरिया बनेगी।

मेरी मादरी जुबान उर्दू है, लेकिन मैं इस बात का बड़ा फयदा करता हूँ कि हिंदी पूरे हिन्दुस्तान को एक जिस तरह से कि माला के पिरोने के लिए एक धागे की एक रस्सी की तरह पिरोता है, उसी तरह से हिंदी पूरे हिन्दुस्तान को पूरा

कौमी एकजुती बनाये रखने के लिए एक अच्छा और अहम जरिया साबित हो सकती है।

मैं उर्दू बोलने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान की या बहरूनी दुनिया की दूसरी जुबान को सीखता हूँ, तो इन तरह से मैं अपनी शक्सियत को निखारता हूँ, बनाता हूँ, और अपनी सलाहयतों में इजाफा करता हूँ। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अगर कोई अगर मद्रास में आल-इंडिया रेडियो से आकाशवाणी का लफज इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे तमिल नाडु में रहने वाले दोस्त क्यों चिरागपा हो जाते हैं। मुझे हैरानी होती है, मुझे हैरत होती है कि मद्रास की गलियों में मैंने भी धूम-फिर कर देखा है कि हिंदी गाने, और हिंदी फिल्में बड़े शौक और जोक से सुने और देखी जाती है। हिंदी और उर्दू गजलों पर सर धुने जाते हैं, लेकिन जब हिंदी की कौमी अहमियत बताने की, वाजे करने पर उसकी अहमियत को समझाने की कोशिश की जाती है, तो हमारे तमिल नाडु के दोस्त क्यों इसको एक हव्वा और भूत समझ बैठते हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। असल में हम गरजमंद सियासतदानों की वजह से, गरजमंदी की वजह से इलाकाई जहन को पैदा करते हुए हमारे मुल्क में, तारीख में एक बार जो कौन एक पर्वम और एक दस्तूर के तहत दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान नुमाया हुआ है, उसकी हैसियत को कमजोर करने

के लिए जाने-अनजाने अंदाज में हम तअस्सुब के अंदाज में कही भाषा के नाम पर, कही जुबान के नाम पर, कही इलाके के नाम पर, कही धर्म के नाम पर हमारी ताकत को, हमारी कौमी एकजुती को बिखरने का वाइस बन रही है। मैं उन तमाम दोस्तों में अपील करता हूँ, खाह चाहे वह तमिल नाडु या फिर पंजाब के भाई हो, या असम के हमारे दोस्त हों, उन सब को सोचना चाहिए कि यह हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हमारे असलाफ ने, हमारे बुजर्गों ने अपनी शेरहत का लहु देकर मादरे-वतन को आजादी दिलाई है। आज हम पर इस बात की जिम्मेदारी आयद होती है कि हमारे जिन बुजर्गों ने अपनी शेरहत का लहु देते हुए वतन को आजादी दिलाई, इस वतन की आजादी को हम बचाये रखें, इसकी इज्जत को हम निभायें रखें।

आज दुनिया तो सारी हिंदुस्तान की तरफ अमन के लिए, इनसानियत के लिए ललवाई हुई नजरों से देखती है और हमारी मदद की तलबगार होती है। लेकिन हम में कुछ ऐसे जहन मौजूद है, कुछ ऐसी तरीकें मौजूद हैं, कुछ ऐसी जमायते मौजूद हैं, जो हमारी ताकत को, हमारी कौमी एकजुती को पारा-पारा करने पर उतारू है।

यह कौम के लिए खतरे की बात है। आज हम में यह अहसास पैदा होना चाहिए, खाह हमारी वह लिंसानी अक-

لियے ہوں، یا مجھہبی اکر لیتے ہوں،  
 اپنی تکدیر کو ملک اور کوم کے ساتھ  
 بانڈنا پڑے گا۔ ملک ترک کرے گا، کوم  
 ترک کرے گا، تو میں اور مجھہبی کی  
 بات ہے کہ لسانی اکر لیتے ہوں ترک کرے گا  
 لیکن یہ بد بختی کی بات ہے کہ ساسانی  
 اور مجھہبی اکر لیتے ہوں جو ہم ہوا دے کے  
 کوٹھارے کر رہے ہیں، یہ خیر ہے، جس خیر  
 سے ہمیں اپنے آپ کو بچا دے رکھنا ہے  
 اور دے کو بچا دے رکھنا ہے، تاکہ  
 ہمارا دے خوشحالی کی منزل  
 تک، ترک کر کے منزل تک پہنچ سکے۔

شکریاں۔

† شہید سید رحمت علی (اندھ)

پڑھیں: محترم وائس چورمین  
 صاحب بڑی دیر سے ہمارے اس ہاؤس  
 میں ہندی کے بارے میں مختلف  
 خیالات کو میں سن رہا ہوں۔ میں  
 آپکا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے تھوڑا  
 سا وقت عزیمت فرمایا ہے۔ میں  
 اختصار کے ساتھ آپ ان دوستوں کو  
 جو آپ دنوں و خیالات میں یہ بات  
 کہتے ہیں کہ ان کے سروں پر ہندی کو  
 زیر دستی مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہ  
 کہا چاہتا ہوں کہ وہ اس شک و  
 شبہ کو اپنے دل و دماغ سے نکل  
 دیں۔ میں اس موقع پر یہ بات  
 بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی

اس صوبہ کے ناگہ بولنے والی ریاست  
 سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے سامنے  
 پورے دیہے کا نقشہ ہے اور پورے  
 دیہے کی جد و جہد آزادی کی  
 تاریخ ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یہ  
 بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ  
 زمان کی بنیاد پر علیحدہ پسند کی  
 کے رجحانات دیہے میں پیدا کرنے کی  
 کوشش کریں گے تو یہ دیہے کی بہت  
 بڑی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے ذہن  
 میں یہ بات ہونی چاہئے کہ  
 ہندوستان رنگا رنگ پھولوں کا ایک  
 گلدستہ ہے۔ ہندی بولنے والے۔  
 تلگو بولنے والے۔ بنگالی بولنے والے  
 تامل بولنے والے یا اردو بولنے والے  
 ہندوستان کی کمزوری علامت نہیں  
 ہیں بلکہ یہ سب مائیکر۔ جس طرح  
 رنگا رنگ پھول مل کر ایک  
 گلدستہ کی زینت کو اور خوبصورتی  
 کو بڑھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہوت  
 ہوت کی بولیاں ہمارے ملک کی  
 زینت اور خوبصورتی میں اضافہ کرنے  
 کا ذریعہ اور باعث بنتی ہیں۔ ہمارے  
 ذہن میں یہ بات ہونی چاہئے کہ  
 زبان نفرت پیدا کرنے یا ایک انسان  
 سے دوسرے انسان کے درمیان فصل اور  
 دوری پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی

ہے بلکہ زبان ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کو پہنچانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بھی ہونی چاہئے کہ جب سات سمندر پار سے مٹھی بھر آئے ہوئے گورے ہندوستان کے آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کے گلے میں غلامی کے طوق کو پہنا گئے تو انہوں نے بڑی ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ ہندوستان کو غیر جغرافیائی انداز میں تقسیم کیا اور اسی جغرافیائی انداز کو تقسیم کے ساتھ انڈین نیشنل کانگریس نے ۱۹۴۰ء میں ہندوستان کی لسانی اساس پر الیگوسٹک بیسیس پر تنظیم جدید کا مطالبہ کیا۔ جب ہندوستان نے مادر وطن کے گلے میں پڑی ہوئی غلامی کی طوق کو نکال کر پھینکا اور ۱۵ اگست ۱۹۴۷ء میں جب آزادی کا سورج ہندوستان کی سر زمین میں اہلی نورانی کرنیں بکھیرنے لگا تو آزادی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد ۱۹۵۰ء میں ۲۹ جنوری کو ایک دستور منظور کیا گیا اور اس دستور میں ہندوستان میں بولی اور سمجھے جانے والی ۱۴ اور ۱۵ زبانوں کو ہماری قومی زبانوں کی حیثیت اور قومی زبان کا درجہ

دیا گیا اس کے ساتھ ہی جو ۱۹۳۰ء میں ہم نے ہندوستان کی غیر جغرافیائی تقسیم کو ختم کرتے ہوئے لسانی اساس پر ہندوستان کی تنظیم جدید کی مانگ انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے کی تھی ... ۱۹۶۵ء میں ہندوستان کے لسانی اساس پر تنظیم جدید اور لسانی علاقوں میں ان لسانی اور علاقائی زبانوں کو ترقی کرنے کے لئے مواقع دیئے گئے۔ لیکن یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ہمارے حامل نافر کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہندی ان کے سروں پر زبردستی لگو کی جا رہی ہے۔

دعوتِ تہذیبی چیرمین صاحب  
تشریف فرما ہوئے ۱۹۷۰ء

اگر ہم ہندی سے بلا وجہ دشمنی برتنے کی کوشش کریں تو یہ نہ تو اپنے علاقہ کی - نہ اپنی ریاست کی کوئی خدمت ہے اور نہ یہ ملک اور قوم کی کوئی خدمت کی بات ہوگی۔ میں بڑے ہی دست بندی کے ساتھ ایک ہندوستانی شہری کی حیثیت سے اپنے دوستوں سے اس بات کی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ

ہندی ہماری قومی وحدت میں یا  
ہماری قومی یکجہتی میں کوئی  
کمزوری پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی۔

میری مادری زبان اردو ہے۔ لیکن  
میں اس بات پر برا فخر کرتا ہوں  
پورے ہندوستان کو ایک  
جسطح سے مالا کو پرونے کیلئے ایک  
دھانے کی ایک دسی کی طرح پروتا ہے  
اسی طرح ہندی پورے ہندوستان کی  
پوری قومی یکجہتی بنائی رکھنے کیلئے  
ایک اچھا اور اہم ذریعہ ثابت ہو  
سکتی ہے۔

میں بھی اردو بولنے والا ہوں۔  
لیکن اگر کوئی ہندوستان کی یا  
بیرونی دنیا کی دوسری زبان کو سیکھتا  
ہوں تو اسطرح سے میں اپنی شخصیت  
کو نکھارتا ہوں۔ بناتا ہوں اور اپنی  
صلاحیت میں اضافہ کرتا ہوں۔ مہری  
سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر  
مدرسے آل انڈیا ریڈیو سے آکشوانی کا  
لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے  
تامل ناٹو میں رہنے والے دوست کیوں  
چراغ پتا ہو جاتے ہیں۔ سمجھ  
چھرائی ہوتی ہے۔ سمجھ حیرت  
ہوتی ہے کہ مدرسے کی گلوں میں  
میں نے بھی گہوم پھر کر دیکھا ہے کہ

ہندی گانے اور ہندی فلمیں بڑے شوق  
و ذوق سے سنے اور دیکھی جاتی ہیں۔  
ہندی اور اردو غزلوں پر سر دھنے جاتے  
ہیں۔ لیکن جب ہندی کی قومی  
اہمیت بنانے کی۔ واضح کرنے کی  
اسکی اہمیت کو سمجھانے کی کوشش  
کی جاتی ہے تو ہمارے تامل ناٹو  
کے دوست کیوں اسکو ایک ہوا اور  
بھرت سمجھ بھرتے ہیں۔ یہ بات  
ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اصل  
میں ہم غرضمند سیاست دانوں کی  
وجہ سے۔ غرضمندی کی وجہ سے  
علاقائی وجہ کو پیدا کرتے ہوئے ہمارے  
ملک میں۔ تاریخ میں۔ ایک بار  
جو قوم پرچم اور ایک دستور کے  
تحت دنیا کے نقشہ پر ہندوستان  
نمایاں ہوا ہے اسکی حیثیت کو  
کمزور کرنے کے لئے جانے انجانے انداز  
میں ہم تعصب کے انداز میں کہیں  
بھاٹا کے نام پر۔ کہیں زبان کے نام  
پر۔ کہیں علاقے کے نام پر۔ کہیں  
دھرم کے نام پر ہماری طاقت کو۔  
ہماری قومی یکجہتی کو بکھرنے کا  
باعث بن رہی ہوں۔ میں ان تمام  
دوستوں سے اپیل کرتا ہوں خواہ چاہے  
وہ تامل ناٹو یا پھر پنجاب کے بھائی  
ہوں۔ یا آسام کے ہمارے دوست ہوں

ان سب کو سوچنا چاہئے کہ یہ  
ہندوستان ہمارا ملک ہے - ہمارے  
اسلاف نے ہمارے بزرگوں نے اپنی  
شہہ رگ کا لہو دے کر مادر وطن  
کو آزادی دلائی ہے - آج ہم پر اس  
بات کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ  
ہمارے جن بزرگوں نے اپنی شہرت کا  
لہو دیتے ہوئے وطن کو آزادی دلائی -  
اس وطن کی آزادی کو ہم بچائے  
رکھیں اس کی عزت کو ہم نبھائے  
رکھیں -

آج دنیا تو ساری ہندوستان کی  
طرف امن کے لئے - انسانیت کے لئے  
لگجائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہے  
اور ہماری مدد کی طلب گار ہوتی  
ہے - لیکن ہم - میں کچھ ایسے ذہن  
موجود ہیں کچھ ایسی تحریکیں  
موجود ہیں - کچھ ایسی جماعتیں  
موجود ہیں - جو ہماری طاقت کو  
ہماری قومی یکجہتی کو پارہ  
کرنے پر اتار رہیں - یہ قوم کے لئے  
خطرے کی بات ہے - آج ہم میں یہ  
احساس پیدا ہونا چاہئے - خواہ  
ہماری وہ لسانی اقلیتوں ہوں یا  
مذہبی اقلیتیں ہوں اپنی تقدیر کو  
ملک اور قوم کے ساتھ بانڈھنا پڑے گا -

ملک ترقی کرے گا قوم ترقی کرے  
گی - تو لسانی اور مذہبی اقلیتیں  
بھی ترقی کریں گی - لیکن یہ  
بد بختی کی بات ہے کہ لسانی اور  
مذہبی جھگڑوں کو جو ہم ہوا دیئے  
کی کوشش کر رہے ہیں یہ خطرہ ہے -  
جس خطرے سے ہمیں اپنے آپ کو  
بچانے رکھنا ہے اور دیس کو بچانے  
رکھنا ہے - ناکہ ہمارا دیس خوشحالی  
کی منزل تک - ترقی کی منزل  
تک پہنچ سکے -

PROF. (MRS.) ASIMA CHATTER-  
JEE (Nominated): Mr. Deputy Chairman,  
Sir, there has been a persistent and re-  
peated agitation on the issue of the Offi-  
cial Language of the Union. The contro-  
versy which is going on in the House to-  
day is whether Hindi should be the Offi-  
cial Language or English. From my ex-  
perience as a scientist, from the point of  
technical difficulties, we face and from  
the experience of the people in general,  
we feel English should continue to be  
the Official language of the Union.

Why do I say this? I would like to put  
my arguments based on practical view  
point. In order to have an exchange of  
thoughts and ideas, with the world at  
large, with the scientists or with the edu-  
cated people not only in India but abroad.  
English is the only medium through which  
we can communicate and propagate our  
thoughts and ideas. What is happening in  
other parts of the globe? Let us take  
China, Japan, South Korea and the Euro-



pean countries. We find that in all these places, there is craze for learning English. They have started institutes for learning spoken English. Therefore, Sir, considering the importance of English Language (International) and Considering, its aspects and the problem on I strongly opine that English should continue to be the Official Language of the Union. The replacement of English Language by Hindi would create problems. It does not mean that I am against Hindi. Our children should learn Hindi. But preference should be given to the English language and they should learn English from the School (Primary level) level along with the regional language. Therefore, this is my opinion which I would like to express in regard to the Official Language of the Union. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Dharm Chander. He is not here. Shri Gopalsamy.

SHRI V. GOPALSAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise to support the Bill which has been moved for the consideration of the House, by Mr. Murasoli Maran. Sir, I will ever remember this occasion because it has given me a golden opportunity to put forth my views for a cause which I have been cherishing in my heart from my boyhood days. This Bill seeks to allay the fears, the genuine fears of the non-Hindi speaking people. This Bill is the expression of crores of self-respecting Tamilians, who are second to none in defending the unity of this country. Sir, this Bill is before us to incorporate the assurance given by the late lamented Prime Minister, Pandit Nehru and also by the successive Prime Ministers, including the present Prime Minister,

Madam Gandhi. The Union Government, itself, should have come forward to introduce such a Bill, to give Constitutional guarantee in respect of the assurance given by the late Prime Ministers, Pandit Nehru and Mr. Shastri as well. But the Government has not come forward. Rather, I would say, it has failed. Therefore, my hon. colleague, Mr. Maran, has moved this Bill. Sir, is it not the duty of the Government to support this Bill? Is it not the duty of the hon. Members of this House to support and welcome this Bill, these who are really interested in strengthening the unity and the integrity of this country. Sir, the first day, when Mr. Maran moved the Bill, he established his case beyond any shadow of doubt that by a simple majority, the Official Languages Act of 1968 could be easily amended and Hindi could be made the sole Official Language of India. This is the situation. Parliament can legislate for the discontinuance of English for the transaction of the Business in this House, without getting the concurrence of the non-Hindi States. Just now Mr. Rudra Pratap Singh, a Member of the Congress(I) stated that they should have brought forward a bill to wipe out English altogether. This is what he stated just now. So, that danger is always there. By a simple majority the protection which has been given to us could be easily wiped out. The danger is there like a Democle's sword hanging on us. Therefore, Mr. Maran introduced this Bill.

Sir, some of my colleagues in this House were vociferous. They attacked English as well as pleaded for this Bill. I think some of the Members may not be aware of the circumstances which com-

Central Government to bring in the Official Languages Bill in 1967. They may not be aware. Some of the Members who are aware of this, might have forgotten intentionally or unintentionally, but we cannot forget them. We cannot afford to forget those days of pain and sorrow, those days of tears and blood when our brothers sacrificed their lives. We cannot forget those days. Therefore, with all sincerity and fairness I humbly appeal to my hon. colleagues of this House to learn from those days and to open the doors of their hearts to register my points of view.

Sir, I am grateful, on behalf of the non-Hindi speaking people, to Mr. Piloo Mody, Mr. P. Ramamurty and some of the other Members, Mr. Alexander Warrier, Mr. Mitra, former Chief Justice, who supported this Bill, but I am really sorry that Mr. Mody and Mr. P. Ramamurty were branded and they were dubbed as the slaves of the English language by some of the Members. When these Members speak about patriotism, they only mean Hindi Patriotism. Can they say that Mr. Ramamurty is not a patriot? He suffered in the British jails. He was in the Congress Party. Then he became a socialist and a Marxist. Is he not a patriot? Sir, I was listening to them with attention. Though I was not able to follow them because they spoke in Hindi, because of the earphone<sup>1</sup> I followed them, I followed Mr. Rameshwar Singh, Mr. Joshi and Mr. Rudra Pratap Singh. On the other day Mr. Hukmdeo Narayan also spoke.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is there.

SHRI V. GOPALSAMY: Yes, I was listening to their speeches, their vigorous and forceful attack on the English language. Mr. Ram Naresh Kushwaha went to the extent of calling English 'a call girl', but, Sir, they forget one thing. When they insist upon the unity of this country, they forget the past history of this country, the past history before 1947, the history of the 18th century, the history of the 17th century. There was the Mauryan empire, there was the Gupta empire, then the Moghul empire came, but neither the Pali language of Ashoka nor the Urdu

language of Akbar could unite this country politically. Geographical landscape of this country was there, but India as one country was not there. Political unity was brought by the British and this is a fact, a historical fact. This was stated by Pt. Nehru.

5.00 P.M.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Gopalsamy, I think we should conclude now and continue on the next day. The debate will continue. Now we shall take up Calling Attention Motion. Shri Kalyan Roy.

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): But where is the Minister of Energy?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister is there.

SHRI KALYAN ROY: Oh, he is there.

#### CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Situation arising out of the proposed Nation-wide strike of lakhs of Coal Mine workers on November 8, 1982

SHRI KALYAN ROY (West Bengal): Sir, I call the attention of the Minister of Energy to the situation arising out of the proposed nation-wide strike of lakhs of coal mine workers on November 8, 1982, and the action taken by Government in this regard.

मजदूरों के राज्य मंत्री (श्री गंगोई शंकर मिश्र): राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-ii 1-1-1979 से 4 वर्ष की अवधि के लिए लागू हुआ था और अगला कोयला मजदूरी समझौता 1-1-1983 में होना है। सरकार इस बात के प्रति बहुत उत्सुक रही है कि मजदूरों, सरकारों, राज्य में हो जाये। परन्तु मजदूरों के सम्बन्ध में बातचीत, शक बनने, बल बढ़ाने, इत्यादि की कोई भी क्योंकि कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति ने सितम्बर, 1981 से काम करना लगभग बंद ही